# BCCI BULLETIN

Vol. XXXXVII | 29th February 2016 | No. 2

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES


## केन्द्रीय बजट 2016-17

श्री अरूण जेटली
केन्द्रीय वित्त मंत्री

वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने आम बजट 2016-17 दिनांक 29 फरवरी 2016 को संसद में पेश किया

### केन्द्रीय बजट 2016-17 के मुख्य बिन्दु

सोना खरीदना महंगा। ◆ बीड़ी छोड़ सभी तंबाकू उत्पाद भी महंगे। ◆ सभी टैक्स योग्य सेवाओं पर 0.5% कृषि कल्याण सेस लगाया जायेगा। ◆ काला धन सामने लाने के लिए एक जून से 30 सितंबर तक मौका। ◆13 तरह के टैक्स खत्म। ◆पहली बार मकान खरीदने पर 50 हजार की अतिरिक्त छूट। ◆ एक जून से कृषि कल्याण उपकर लगेगा। ◆ 10 लाख से ज्यादा कीमत वाली कारों पर एक फीसद अतिरिक्त टीडीएस। ◆ दीनदयाल उपाध्याय जयंती के लिए सौ करोड़। ◆ मकान किराये में टैक्स छूट की सीमा 24 हजार से 60 हजार। ◆ छोटे करदाताओं को राहत, 5 लाख तक की आय को तीन हजार का फायदा। ◆ दाल की कीमत स्थिर रखने के लिए 900 करोड़, बनेगा बफर स्टॉक। ◆ राजकोषीय घाटा 3.5 फीसद तक लाने का लक्ष्य। ◆ परमाणु बिजली के लिए 3000 करोड़। ◆ कंपनी अधिनियम 2013 में होगा संशोधन। ◆ मुद्रा बैंक के लिए एक लाख 80 हजार करोड़। ◆ आधार का प्रयोग करते हुए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था। ◆ बैंको में एनपीए की समस्या से निपटने के लिए उचित कदम उठाये जायेंगे। ◆ पोंजी स्कीमों के फर्जीवाड़े से निवेशकर्ताओं को बचाने के लिए कानून बनाया जायेगा । ◆ फूड प्रोसेसिंग के लिए 100 फीसद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी। ◆ संसद में पेश की जायेगी दिवालिया संहिता। ◆ विनिवेश विभाग का नया नाम होगा दीपम। ◆ 50 हजार किलोमीटर का स्टेट हाइवे बनेगा। ◆ 10 हजार किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार होगा । ◆ परमिट राज को खत्म किया जायेगा, मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव होगा। ◆ ईपीएफओ के लिए एक हजार करोड़ रूपये का फंड। ◆ रेलवे एवं सड़क परिवहन में कुल 2.18 लाख करोड़ का निवेश होगा। ◆ तीन साल तक नये कर्मचारियों को ईपीएफ का अंशदान 8.33 फीसद देगी सरकार । ◆ सड़कों के लिए नये वित्तीय वर्ष में 97 हजार करोड़ का प्रावधान। ◆ खुदरा बाजार को सप्ताह के सातों दिन खुले रहने का अधिकार मिलना चाहिए। ◆ 15000 बहु कौशल प्रशिक्षण संस्थान बनेंगे। ◆ अगले तीन वर्ष में एक करोड़ युवाओं को कुशल बनाया जायेगा। ◆ स्किल इंडिया मिशन के लिए 1700 करोड़ की राशि ।◆ अगले दो वर्ष में 62 नवोदय विद्यालय खोले जायेंगे। ◆ सस्ती दवाओं की 3000 दुकानें खुलेंगी, गरीबों को मिलेगी बड़ी राहत। ◆सभी जिला अस्पतालों में डायलसिस की सुविधा मुहैया करायी जायेगी। ◆ प्रति परिवार एक लाख तक मेडिकल इंश्योरेंश, सीनियर सिटिजन के लिए 30 हजार का टॉप अप। ◆ 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को महिलाओं के नाम एलपीजी कनेक्शन दिए जायेंगे। ◆ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान शुरू किया जायेगा, 655 करोड़ आवंटित। ◆ डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए स्कीम चलेगी। ◆ 1 मई 2018 तक हर गाँव में बिजली।◆ मनरेगा के लिए 38500 करोड़ की राशि । ◆ डेयरी उद्योग के लिए चार नयी योजनाएं।◆पीएम फसल बीमा योजना के लिए 5 हजार 500 करोड़। ◆ आधार कार्ड को संवैधानिक दर्जा दिया जायेगा । ◆ कृषि बाजार को जोड़ने के लिए ई प्लेटफॉर्म तैयार किया जायेगा। ◆ ग्रामीण सड़क योजना पहले की तुलना में ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू।◆ देश की भंडारण क्षमता में 97 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी।

(साभार-आज)

## केन्द्रीय बजट में बिहार के लिए कोई प्रावधान नहीं होना निराशाजनक - चैम्बर

केन्द्रीय बजट को सुनते चैम्बर के पदाधिकारी एवं सदस्यगण

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने कहा कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 29 फरवरी को संसद में पेश आम बजट में आधारभूत संरचना यथा-रोड, रेल, हवाई अड्डे, पर विशेष ध्यान देने के फलस्वरूप आवागमन की सुविधा बढ़ेगी । पिछड़े इलाके में यातायात सुविधा बढ़ेगी, 2018 तक सभी गाँव में बिजली पहुँचाने, सस्ती दवाओं के लिए 3000 दुकाने खोले जाने, परमिट राज खत्म करने की कोशिश, कंपनियों का निबंधन एक दिन में मिलने की घोषणा का स्वागत किया है ।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह ने कहा कि इन कदमों से जहाँ एक ओर देश में आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा, जिससे देश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी वहीं दूसरी ओर व्यापार के लिए अनुकूल माहौल बनेगा ।

साथ ही श्री साह ने कृषि उत्पादन बाजार समिति कानूनों में संशोधन के वित्त मंत्री के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कृषि उत्पादन बाजार समिति अपने उद्देश्यों में विफल साबित हुआ है यह अब वित्त मंत्री के फैसले से सर्वामान्य हो गया है । इसी परिपेक्ष में बिहार सरकार ने वर्ष 2008 में ही कृषि उत्पादन बाजार समिति कानून को निरस्त कर दिया था ।

चैम्बर अध्यक्ष ने जहाँ कर संबंधी सुधार, जन-निज भागीदारी योजना का दायरा बढ़ाने, राजकोषीय घाटे को कम करने के प्रयासों का स्वागत किया है, वहीं बिहार के लिए किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किए जाने से निराशा व्यक्त की है ।

### केन्द्रीय बजट पर चैम्बर के अन्य पदाधिकारियों की प्रतिक्रिया

''उम्मीद थी कि इस साल इनकम टैक्स के स्लैब में बढ़ोतरी होगी, पर उसमें संशोधन नहीं किया गया । केवल 5 लाख के इनकम टैक्स में 3000 की छूट की घोषणा हुई है इससे लोगों को कोई खास राहत नहीं मिलेगी।''

**- श्री एम. एन. बरेरिया,** उपाध्यक्ष, बीसीसीआई

''बजट में बिहार को किसी प्रकार का विशेष पैकेज नहीं मिलने पर निराशा हुई है। हालांकि 160 एयरपोर्ट को फिर से विकसित कर चालू करने की बात कही गई है यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। हाईवे निर्माण की बात ठोस कदम है।''

**- श्री शशि मोहन,** महामंत्री, बीसीसीआई

''केन्द्रीय बजट संतुलित बजट है। हालांकि इनकम टैक्स के स्लैब को थोड़ा बढ़ाना चाहिए था । सरकार ने दूसरे तरीके से छूट का प्रावधान किया है। बजट में बिहार के लिए कुछ नजर नहीं आया। थोड़ी निराशा हुई है।''

**- श्री पशुपति नाथ पाण्डेय,** पूर्व महामंत्री, बीसीसीआई

## अध्यक्ष की कलम से .....

प्रिय बन्धुओं,

फरवरी माह व्यापारिक दृष्टि से बहुत उथल-पुथल वाला रहा। कपड़ा व्यवसायी VAT को लेकर आन्दोलनरत रहे। कपड़ा व्यवसायियों ने सर्वसम्मति से सरकार से वार्ता हेतु मुझे अधिकृत किया है। मेरा प्रयास होगा एक सर्वस्वीकार्य निर्णय सरकार द्वारा लिया जा सके।

दवा व्यवसायी भी निरन्तर पड़ रहे छापेमारी से परेशान हैं। इसमें सच्चे व्यापारी भी ''जौ के साथ घुन'' की तरह पिसने को विवश हैं। नयी उद्योग नीति 2016 भी आने वाली है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श चल रहा है। ''उदय'' योजना (उज्जवल डिस्काम एश्योरेंस योजना) में बिहार के शामिल हो जाने से आम जनता एवं उद्योग-व्यवसाय से जुड़े उपभोक्ताओं को सस्ती एवं सुलभ बिजली मिलने की उम्मीद है। इस हेतु केन्द्र और राज्य सरकार के बीच एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर भी हो चुका है जो एक सुखद समाचार है।

रेल बजट 2016 पेश हो चुका है, जिसने मूल रूप से बिहार को निराश ही किया है। रेल भाड़ा एवं माल भाड़े में बढ़ोतरी नहीं करना, यात्री सुविधाओं में वृद्धि आदि स्वागत योग्य कदम है।

बिहार बजट 2016-17 में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि से राज्य के विकास कार्यों में गति मिलेगी । साथ ही राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का सात निश्चयों को कार्यान्वित कराने की दिशा में यह बजट काफी कारगर सिद्ध होगा ।

राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग के बजट में भी अपेक्षाकृत बढ़ोत्तरी करना आवश्यक है। तथा माननीय मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशन में राज्य का प्रगतिशील बजट प्रस्तुत किए जाने के लिए माननीय वित्त मंत्री को हार्दिक बधाई देता हूँ।

होली की शुभकामनाओं सहित।

आपका
ओ. पी. साह

### केन्द्रीय बजट में महंगा :

सोना और चांदी : ◆चांदी के जड़ाऊ गहनों को छोड़ बाकी के आभूषण। ◆मिनरल वॉटर सहित पानी। ◆चीनी या मीठी सामग्री वाला ऐरेटेड वॉटर। ◆दो लाख रूपए से अधिक की नकद वस्तुए और सेवाएं। ◆एल्युमीनियम फायल। ◆ विमान यात्रा। ◆रोपवे, ◆केवल कार राइड। ◆आयातित नकली (इमिटेशन) आभूषण◆ प्लास्टिक बैग ◆औद्योगिक सौर वॉटर हीटर◆ कानूनी सेवाएं।◆ लॉटरी टिकट। ◆बसों आदि को किराए पर लेना, पैकर्स और मूवर्स की सेवाएं।◆ ई रीडिंग उपकरण।◆ वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकाल के उपकरण, आयातित गोल्फ कार्ट। ◆सोने की छड़

### केन्द्रीय बजट में सस्ता :

◆फुटवियर◆सौर लैंप◆राउटर◆ब्रॉडबैंड और सेटटॉप बॉक्स, डिजिटल विडियों राकॉर्डर और सीसीटीवी कैमरा।◆हाईब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन ◆ स्टरलाइज्ड डायलाजर ◆60 वर्ग मीटर से कारपेट क्षेत्र से कम से कम कीमत के मकान, प्रदर्शन के लिए लोक कलाकारों की सेवाएं, रेफ्रिजेरेटेड कंटेनर। ◆पेंशन योजनाएं ◆माइक्रोवेव ओवन ◆सेनिटरी पैड ◆ब्रेल पेपर

(साभार-जनसत्ता)

## रेल बजट 2016-17 में बिहार

### तेजस, अंत्योदय, हमसफर, आस्था सर्किट बिहार से भी गुजरेंगी

● 2780 करोड़ की 16 नई परियोजनाएं बिहार को

श्री सुरेश प्रभु, रेलमंत्री

रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने बिहार की दशकों से लंबित परियोजनाओं के लिए धन ही नहीं दिया, बल्कि चिर-प्रतीक्षित मांगों पर भी ध्यान दिया है। सुदूर इलाकों में रेल नेटवर्क की मांग के मद्देनजर उन्होंने न केवल विक्रमशिला-कटरिया नई लाइन को मंजूरी दी है, बल्कि दोहरीकरण की छह नई परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी है। बिहार में पहली बार पांच बड़े रेलखंड के विद्युतीकरण को भी स्वीकृति दी गई है। इसके तहत 787 किलोमीटर ट्रैक का बिजलीकरण होगा। रेलमंत्री ने 181 किलोमीटर नई लाइन व दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण कराने की भी घोषणा की । सुरेश प्रभु ने बिहार को 2780 करोड़ नई परियोजनाएं दीं।

**एक नजर :-** रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि बिहार के मधेपुरा में इलेक्ट्रिक इंजन के निर्माण का काम चालू किया जाएगा ◆ इसी प्रकार मढ़ौरा डीजल इंजन कारखाना का निर्माण किया जाएगा ◆रेलमंत्री ने कहा कि इनदोनों जगहों पर पीपीपी मोड पर काम होगा ◆तीर्थस्थलों पर पड़ने वाले स्टेशनों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा ◆बिहार के दो स्टेशन बिहारशरीफ और गया इसमें शामिल हैं ◆ रेलवे इनदोनों स्टेशनों का सौंदर्यीकरण करेगा ◆ रेलमंत्री ने कहा कि रेलवे इन स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं भी बढ़ाएगा।

**कई अधूरे कार्य पूरे होंगे :** इस वर्ष 19 किलोमीटर लंबे मुंगेर रेल पुल, 57 किमी के हजारीबाग-बरकाकाना रेलखंड और 59 किमी लंबे दुर्गावती-सासाराम फ्रेट कॉरिडोर को चालू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा 37 किलोमीटर लंबे बनमनखी-पूर्णिया रेलखंड का आमान परिवर्तन करने और 20 किमी के गौछारी-नारायणपुर के दोहरीकरण का काम भी पूरा कर लिया जाएगा।

**मेगा पुलों पर खास ध्यान :** रेल बजट में बिहार के मेगा पुलों पर खास ध्यान दिया गया है। मुंगेर रेल पुल को 375 करोड़ तो कोसी महासेतु को 60 करोड़ रूपए मिलेंगे । कई दशकों से लंबित बनमनखी - पूर्णिया - बिहारीगंज रेलखंड के आमान परिवर्तन की बड़ी घोषणा की गई है । राज्य की 18 ऐसी परियोजनाएं हैं जिन्हें 100 करोड़ से 375 करोड़ की राशि एकमुश्त दी गई है।

**मार्च 2017 तक पूरी होंगी**

| | |
|---|---|
| **नई लाइन** | |
| बिरौल-हरनगर | 8 किमी |
| बरकाकाना-शिधवर | 7 किमी |
| टाटीसिलवा-मेसरा-शांकी | 31 किमी |
| तिलैया-लौंध-खेरौंद | 24 किमी |
| इस्लामपुर-नटेसर | 21 किमी |
| **दोहरीकरण** | |
| रामदयालु-कुढ़नी | 10 किमी |
| हाजीपुर-घोसवर | 5.5 किमी |
| **आमान परिवर्तन** | |
| रक्सौल-नरकटियागंज | 42 किमी |
| **विद्युतीकरण** | |
| मानसी-कटिहार | 112 किमी |
| मेरलग्राम-रेणकूट | 76 किमी |

### यात्री सेवाएं

धार्मिक महत्व के स्टेशनों के सौंदर्यकरण योजना के तहत बिहार के बिहारशरीफ, गया और पारसनाथ रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण होगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों को जोड़ने के लिए आस्था सर्किट ट्रेनें चलाने की योजना ।

### नई लाइन

- बिक्रमशिला–कटोरिया 18 किमी
- डेहरी–ऑनसोन–भूनाथपुर नई लाईन 39 किमी
- मधुबनी–बेनीपट्टी–पुपरी नई लाईन 45 किमी
- सीतामढ़ी–जनकपुर वाया बथनाहा नई लाईन 45 किमी

### दोहरीकरण

- करौटा पटनेर–मनकट्ठा 10 मिमी
- सुगौली–बाल्मिकीनगर 109.7 किमी
- गया–मानपुर बाईपास लाइन 2 किमी
- मुजफ्फरपुर–सुगौली 100.6 किमी
- गढ़वा रोड–रेल ओवर रेल 10 किमी
- रधिकापुर–बरसोई 52 किमी
- कटरिया–कुरसेला 30 करोड़
- गढ़वा रोड–रमणा रोड 100 करोड़
- दनियां–रांची रोड 100 करोड़
- जरंगाडीह–दानियां 100 करोड़
- हाजीपुर–रामदयालु 160 करोड़
- रेणुकूट–चोपन 25 करोड़
- करेला रोड–शक्तिनगर 06 करोड़
- रांची रोड–पतरातु 30 करोड़
- मोकामा अतिरिक्त पुल 51 करोड़
- रमणा–सिंगरौली 160 करोड़
- धनबाद–सोन नगर 250 करोड़
- हाजीपुर–बछवारा 70 करोड़
- समस्तीपुर–दरभंगा 45 करोड़
- किउल–गया 125 करोड़

### विद्युतीकरण

- आरा–सासाराम 97 किमी
- दरभंगा–जयनगर 81 किमी
- रक्सौल–सीतामढ़ी–दरभंगा–समस्तीपुर 231 किमी
- कप्तानगंज–थावे–कटेया–छपरा–कचहरी 206 किमी
- मानसी–सहरसा–दौरम मधेपुर–पूर्णिया–कटिहार 172 किमी

### राशि का प्रावधान

- रेल सह सड़क पुल, मुंगेर 375 करोड़
- सकरी–हसनपुर 30 करोड़
- गिरीडीह–कोडरमा 120 करोड़
- खगड़िया–कुशेश्वरस्थान 30 करोड़
- राजगीर–तिलैया एवं नटेसर–इस्लामपुर 75 करोड़
- कोडरमा–रांची 350 करोड़
- बिहार शरीफ–बरबीघा–शेखपुरा 51 करोड़
- कोसी पुल 60 करोड़
- कोडरमा–तिलैया 100 करोड़
- हाजीपुर–सुगौली 100 करोड़
- छपरा–मुजफ्फरपुर 20 करोड़
- मोतीहारी–सीतामढ़ी 20 करोड़

### आमान परिवर्तन

- बनमनखी–पूर्णिया–बिहारीगंज 40 करोड़
- लौकहा बाजार–निर्मली एवं सहरसा–फारबिसगंज 100 करोड़
- जयनगर–बिजलपुरा 50 करोड़
- रक्सौल–नरकटियागंज 60 करोड़

(साभार–दैनिक भास्कर 26.02.2016)

## रेल बजट ने बिहार को किया निराश–चैम्बर

संसद में पेश रेल–बजट 2016–17 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष श्री ओ.पी. साह ने कहा कि रेल बजट ने बिहार जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य को निराश किया है। यद्यपि रेलवे द्वारा पिछले दिनों मढ़ौरा और मधेपुरा रेलवे कारखानों की स्थापना के लिए कार्यादेश किया गया जो कि स्वागतयोग्य है लेकिन अन्य लंबित रेल परियोजनाओं के विषय में रेल बजट में कोई घोषणा नहीं होने से निराशा हुई है।

श्री साह ने कहा कि बिहार में स्थिति रेलवे के वर्तमान रैक साइडिंग की कमी के कारण राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों को माल मांगाने एवं भेजने में हो रही असुविधा को देखते हुए चैम्बर ने रेल मंत्री से राज्य के सभी जिलों में अतिरिक्त दो–दो रैक साइंडिंग के निर्माण का सुझाव दिया जिससे कि राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों की सुविधा के साथ–साथ रेलवे के आय में भी वृद्धि होती परन्तु उस विषय में इस बजट में कोई घोषणा नहीं की गयी है।

श्री साह ने कहा कि रेल बजट में यात्री सुविधाओं जैसे–ट्रेन में एफएम रेडियो, वाई–फाई एवं खान–पान की सुविधा को बेहतर बनाने एवं स्वच्छता पर विशेष बल दिया गया है। ट्रेनों की औसत गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा किए जाने से यात्रियों को सुविधा होगी एवं मालगाड़ी की गति को 50 किलोमीटर प्रति घंटा किए जाने से सामानों का एक स्थान से दूसरे स्थान के आवागमन में तेजी आएगी ।

चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि हमसफर, तेजस, उदय एवं अंत्योदय जेसे ट्रेनों को चलाने के प्रावधान से जहां यात्री सुविधाओं में बढ़ोत्तरी होगी वहीं बिहार से किसी नई रेलगाड़ी की घोषणा नहीं होने से निराशा है। लम्बी दूरी की गाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाने से यात्रियों को सुविधा होगी तथा धार्मिक स्थलों के लिए आस्था ट्रेन चलाने एवं व्यस्त मार्गों पर डबल डेकर ट्रेन चलाने का निर्णय स्वागतयोग्य है। (साभार–आज 26.02.2016)

## बिहार बजट 2016–17
## विकास का निश्चय, खोला खजाना

1 लाख 44 हजार 696 करोड़ का बजट, पिछली बार से 20% बड़ा

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी
वित्त मंत्री, बिहार

वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने शुक्रवार 26.02.2016 को बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2016–17 का बजट पेश किया। महागठबंधन सरकार के पहले बजट में जहां कई नयी योजनाओं को शुरू करने के लिए खजाना खोला गया है, तो कई पुरानी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए राशि का प्रबंध किया गया है। श्री सिद्दीकी ने कुल एक लाख 44 हजार 696 करोड़ रूपये का बजट पेश किया है, जो 2015–16 के बजट से 24 हजार 10 करोड़ रूपये ज्यादा है इसमें किसी नये टैक्स का प्रस्ताव नहीं है, वहीं शराबबंदी से होनेवाले नुकसान की भरपाई के लिए वाणिज्यकर के लक्ष्य को बढ़ाया गया है, साथ ही टैक्स चोरी रोकने के उपायों को सख्ती से लागू करने की बात कही गयी है।

- योजना मद में 71501 करोड़, गैर योजना मद में 72276 करोड़ होंगे खर्च
- 2015–16 की तुलना में 24010 करोड़ ज्यादा का बजट
- पिछले बजट की तरह इस बार भी 14649 करोड़ के राजस्व सरप्लस का बजट पेश
- मुख्यमंत्री के सात निश्चयों को आकार देने के लिए 5400 करोड़

### ये नयी योजनाएं होंगी शुरू

- मैट्रिक पास युवकों को दो वर्ष तक एक हजार रूपये प्रति माह भत्ता
- 12वीं पास को 4 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड
- सभी जिलों में पंजीकरण व आधुनिक रोजगार परामर्श केंद्र की स्थापना
- उद्यमिता विकास व स्टार्टअप कैपिटल के लिए 500 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड
- इन्क्यूवेशन सेंटर की स्थापना
- सभी विवि व कॉलेजों में मुफ्त वाइ–फाइ
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बाद बचे गांवों में पक्की सड़क व

नाली–गली का निर्माण
- सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत कोटा
- दो वर्षों में बचे सभी गांवों का विद्युतीकरण, सभी को बिजली कनेक्शन
- पांच साल में सभी घरों में पाइप से जलापूर्ति
- हर घर में शौचालय का निर्माण
- 5 नये मेडिकल कॉलेज
- हर जिलें में जीएनएम स्कूल, पारा मेडिकल संस्थान, पॉलिटेकनिक, महिला आइटीआई
- सभी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज

**छह साल में**

| ढाई गुने से अधिक बढ़ा बजट का आकार | | चार गुना बढ़ा वार्षिक योजना का आकार | |
|---|---|---|---|
| वित्तीय वर्ष | बजट | वर्ष | वार्षिक योजना |
| 2010-11 | 51 | 2010-11 | 18.40 |
| 2011-12 | 60 | 2011-12 | 20.30 |
| 2012-13 | 70 | 2012-13 | 25.60 |
| 2013-14 | 92 | 2013-14 | 30.70 |
| 2014-15 | 116 | 2014-15 | 51.56 |
| 2015-16 | 120 | 2015-16 | 57.13 |
| 2016-17 | 144 | 2016-17 | 71.50 |

आंकड़े : हजार करोड़ में

**शिक्षा, बिजली पर सबसे अधिक खर्च (करोड़ में)**

| विभाग | प्लान | नॉन प्लान | कुल राशि |
|---|---|---|---|
| शिक्षा | 10950.14 | 10946.88 | 21897.02 |
| उर्जा | 9658.60 | 4709.24 | 14369.84 |
| ग्रामीण कार्य | 5954.31 | 1196.17 | 7150.50 |
| पथ निर्माण | 5651.41 | 947.65 | 6599.66 |
| ग्रामीण विकास | 5204.13 | 305.93 | 5510.06 |
| स्वास्थ्य | 5337.18 | 2897.52 | 8234.70 |
| समाज कलयाण | 4960.93 | 56.17 | 5017.10 |
| योजना एवं विकास | 3304.63 | 199.26 | 3503.89 |
| कृषि | 2179.81 | 538.32 | 2718.13 |
| खाद्य | 2046.97 | 99.07 | 2146 |
| जल संसाधन | 1541.43 | 737.63 | 2279.06 |

## बजट सार

नये वित्तीय वर्ष में शुरू होंगी कई नयीं योजनाएं

### गृह विभाग

- राज्य में जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल की संख्या को राष्ट्रीय मानक तक पहुंचाने के लिए डीएसपी से सिपाही तक के 43 हजार 761 पदों पर भर्ती की जायेगी। यह भर्ती पांच चरणों में होगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सिपाही के अलावा अवर निरीक्षक के 1 हजार 140 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई जल्द शुरू होगी।
- बोधगया और राजगीर में पर्यटक केंद्रित थाना का होगा निर्माण।
- महिला पुलिसकर्मियों के लिए सभी थाना और बैरक में शौचालय निर्माण के लिए 614 करोड़।
- पुलिस कर्मियों के लिए 1531 एंड्राइड आधारित स्मार्ट फोन और 1 हजार 428 मोटरसाइकिल।
- आतंकवाद निरोधक दस्ता और बिहार पुलिस रेडियो संगठन के लिए उपकरणों की खरीद।
- 13 जेलों में कैंटीन, रसोई आदि का निर्माण कराया जायेगा।
- सभी जेलों में टेलीफोन बुथ, कलर टीवी, सेटटॉप बॉक्स की सुविधा।
- विधि–व्यवस्था को दुरूस्त बनाये रखने के लिए किसी कांड का अनुसंधान तय समय सीमा में करने के लिए कार्य योजना बनाकर होगा।
- पुलिस मुख्यालय में चौबीसो घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन और आधुनिक नियंत्रण कक्ष जल्द स्थापित होगा।
- एसिड अटैक के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए एसिड की बिक्री को नियंत्रित किया गया है। पीडितों को उचित इलाज ओर मुआवजा देने के अलावा नौकरी में आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है।

### निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

- कोर्ट फी स्टांपों की बिक्री फ्रैकिंग मशीन से होगी ।
- निबंधन से जुड़े सभी शुल्क पेमेंट गेटवेट के जरिये ऑनलाइन जमा होंगे
- क्रडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से भी फीस जमा कर सकते।
- सभी दस्तावेज ऑनलाइन प्राप्त कर सकते, सभी निबंधन कार्यालयों में हेल्प काउंटर।
- विदेशी शराब से भरे टैंकर या ट्रक को राज्य की सीमा पर चेकिंग करने के लिए डिजीटल लॉक सिस्टम।
- सभी चीनी मिलों में छोआ के स्थान पर इथनॉल का निर्माण होगा

### वाणिज्य कर विभाग

- ई–कॉमर्स में बिहार प्रवेश कर अधिनियम में संशोधन किया गया। एक हजार से ज्यादा की वस्तु पर लगेगा टैक्स।
- यह बढ़ौतरी सरकार पहले ही कर चुकी है। बजट में सिर्फ इसका उल्लेख किया गया है।
- वैट अधिनियम में संशोधन किया गया है। 500 रूपये मूल्य से अधिक के मिठाई पर 13.5 प्रतिशत की दर से वैट लगेगा। 500 रूपये प्रति मीटर से अधिक तथा 2 हजार से अधिक के कपड़े पर 5 प्रतिशत की दर से टैक्स।
- पैक्ड, ब्रांडेड तथा संरक्षित नमकीन पर 13.5 प्रतिशत वैट।
- 10 वस्तुओं पर वैट की दर 5 से बढ़ाकर 13.5 प्रतिशत किया गया।
- पेट्रोल और डीजल पर अधिभार बढ़कर 30 प्रतिशत। हालांकि इसका असर मूल्य पर नहीं पड़ेगा। यह बढ़ोतरी तेल कंपनियों को देनी होगी।
- माल की आवाजाही के लिए डी–VIII की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रूपये किया गया है।
- 232 वाणिज्य कर निरीक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी ।

### उद्योग विभाग

- भागलपुर में उद्योग विभाग " **टेक्सटाइल पार्क**" बनायेगा।
- विभाग ने इसके लिए बुनकर वाहुल्य क्षेत्र भागलपुर का चयन किया है।
- नई इस्तशिल्प नीति, हस्तकरघा नीति और खादी प्रक्षेत्र विकास करने के लिए "सिंगल विंडो ब्यूरो" के गठन करने की योजना को भी हरी झंडी मिलेगी ।
- सूबे में छह बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र पहले से ही खुले हैं, अब उन केन्द्रों में बुनाई, डिजायनिंग का बुनकरों को छह व एक वर्ष का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।
- प्रशिक्षण लेने वाले बुनकरों को प्रति माह 800–800 रूपये की छात्रवृति भी विभाग देगा।

### 7 निश्चयों के क्रियान्वयन की ठोस पहल

बजट में सात निश्चयों के क्रियान्वयन की ठोस पहल की गयी है। कृषि रोडमैप, मानव विकास मिशन समेत अन्य योजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में बजट में जो प्रावधान किये गये हैं, वे इन योजनाओं के पूरा होने से सहायक होंगे। बजट में सभी चीजों का ध्यान रखा गया है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी को बधाई देता हूं।

– श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

## बिहार बजट राज्य के चहुमुखी विकास के लिए समर्पित-चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने बिहार बजट में पिछले वर्ष की तुलना में अपेक्षाकृत वृद्धि किए जाने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आशा व्यक्त की है कि बजट में करीब 40% की वृद्धि से राज्य के विकास कार्यों में गति मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के सात निश्चयों को कार्यान्वित कराने की दिशा में यह बजट काफी कारगर सिद्ध होगा।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह ने स्टार्टअप वेंचर कैपीटल के लिए 500 करोड़ का प्रावधान, कौशल विकास केन्द्रों के निर्माण, राज्य में पाँच निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, हर जिले में पारामेडिकल संस्थानों की स्थापना के साथ ही उर्जा विभाग के लिए 8436 करोड़ की जगह 14367 करोड़ का प्रावधान किए जाने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

श्री साह ने उद्योग विभग का बजट गत वर्ष के बराबर ही रखे जाने पर अपना असंतोष व्यक्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है कि राज्य औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग के बजट में भी अपेक्षाकृत बढ़ोत्तरी की जाए।

उन्होंने कहा कि सरकार के विभिन्न लाभकारी योजनाओं को कार्यान्वित कराने के लिए मुख्य सचिव, प्रभारी मंत्री एवं जिलाधिकारी की देखरेख के लिए अनुश्रवण समिति के गठन का निर्णय भी काफी स्वागतयोग्य कदम है।

अध्यक्ष श्री साह ने माननीय मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशन में राज्य का प्रगतिशील बजट प्रस्तुत किए जाने के लिए माननीय वित्त मंत्री को हार्दिक बधाई दी है।

## वैट पर ओ.पी. साह करेंगे सरकार से बात

राज्य सरकार द्वारा कपड़े पर वैट लगाए जाने के बाद वस्त्र व्यवसायियों में जारी असंतोष को समाप्त करने को लेकर रविवार 15.02.2016 को बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स परिसर में व्यवसायियों की बैठक हुई । बैठक में वस्त्र व्यवसायियों की ओर से बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ओ.पी. साह को वैट के संबंध में सरकार से बातचीत के लिए अधिकृत किया गया है। बैठक में टेक्सटाइल चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रधान सचिव रंजीत सिंह एवं नार्थ बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष मोती लाल छापरिया भी उपस्थित थे । वस्त्र व्यवसायियों ने कहा कि सरकार से बातचीत में ऐसी व्यवस्था लागू कराने की पहल की जाए, जिसमें सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो, वहीं कपड़ा व्यवसायियों को अनावश्यक भयादोहन का शिकार नहीं होना पड़े । बैठक में श्री साह व रंजीत सिंह ने वस्त्र व्यवसायियों से अनुरोध किया कि राज्य सरकार को इस संबंध में ज्ञापन सौंपे जाने तक सभी तरह के विरोध कार्यक्रम तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिए जाएं ।

(साभार:हिन्दुस्तान 15.02.2016)

## अधिसूचना तिथि पर हो पुनर्विचार

बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने 28 जनवरी को जारी अधिसूचना की तिथि पर पुनर्विचार करने की मांग की है। चैंबर के अध्यक्ष ने बताया कि सरकार की ओर से गैर अनुसूचित वस्तुओं पर वैट की दर 13.5 से बढ़ाकर 14.5 फीसदी किए जाने का निर्णय मंत्रिमंडल में 19 जनवरी को लिया गया था । इसकी अधिसूचना 28 जनवरी को जारी की गई, लेकिन इस अधिसूचना को वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर 29 जनवरी की दोपहर 12.40 में अपलोड किया गया, जबकि इसे 28 जनवरी से प्रभावी किया गया। इस अधिसूचना को 29 को वेबवाईट पर अपलोड किया जाना न्यायोचित नहीं है । इससे व्यापारियों को नुकसान और परेशानी होगी । उन्हें अकारण कानून का उल्लंघन करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में चैंबर ने विभाग के प्रधान सचिव से मांग की है कि इसे 29 जनवरी के बाद से लागू करने का आदेश दें ।

(साभार:हिन्दुस्तान 31.01.2016)

## आम बजट-2016 को लेकर बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में व्यवसायियों के साथ संवाद का हुआ आयोजन

## आम बजट की घोषणा में बिहार का भी रखें ध्यान

आगामी 29 फरवरी को आम बजट को लेकर बिहारवासियों की उम्मीद बढ़ गई है। अखबार हिन्दुस्तान ने इसके मद्देनजर संवाद का आयेजन किया। संवाद की पहली कड़ी में बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में उद्यमियों ने बेबाकी से अपनी बात रखी। किसी ने सालाना इनकम पर टैक्स में रियायत की बात की तो किसी ने बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की । पेश है आम बजट को लेकर उद्यमियों की आशाएं।

''देश में मेक इन इंडिया पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है लेकिन यह योजना तभी सफल होगी जब इसकी तर्ज पर बिहार के उद्यमियों को भी सुविधा मिले। बिहार का विकास नहीं होगा तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट सफल नहीं होगा । जहां तक टैक्सेसन की बात है, महंगाई के मद्देनजर इनकम टैक्स के स्लैब में संशोधन होना चाहिए।''

**-श्री ओ. पी. साह**, अध्यक्ष, बी.सी.सी.आई.

''जब तक बिहार को स्पेशल स्टेटस का खिताब नहीं मिलेगा तब तक बिहार में कोई खास सुधार होने की संभावना नहीं है। केन्द्रीय बजट में बिहार के विकास पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। खासकर पर्यटन एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इनकम टैक्स स्लैब को 6 लाख तक करना चाहिए।'' **-श्री शशि मोहन,** महामंत्री, बी.सी.सी.आई.

''महंगाई को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार को इनकम टैक्स के स्लैब को छह लाख तक किया जाना चाहिए। इसके अलावा मेडिकल क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। रोड एवं बिजली की स्थिति भी बिहार में अच्छी नहीं है। हलांकि इन दोनों क्षेत्रों में हल्का सुधार हुआ है अभी भी सुधार करने की जरूरत है।'' **-श्री एस.आर. डोलिया,** सदस्य, बी.सी.सी.आई

''बिहार में इंडस्ट्रीज कोरिडोर बनायी जानी चाहिए। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो तब तो ठीक है अन्यथा केन्द्र सरकार बजट घोषणा में बिहार के विकास को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत है । तभी बिहार में उद्यमी आएंगे। रोड एवं मेडिकल क्षेत्र में निश्चित रूप से सुधार करने की जरूरत है।''

**- श्री जे.पी. सिंह,** सदस्य, बी.सी.सी.आई.

''सब कुछ तो ठीक है लेकिन ई-कॉमर्स पर केन्द्र सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। ई-कॉमर्स दीमक की तरह पूरे कारोबार को चौपट कर रहा है । यह बात भी सुनने को मिल रही है की एफडीआई देश में प्रवेश करने की योजना बना रही है। अगर ऐसा होता है निश्चित रूप से छोटे व्यापारियों की परेशानी बढ़ जाएगी।'' **- श्री सुधीर गुप्ता,** सदस्य, बी.सी.सी.आई

''सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का री-इंबर्समेंट मिले। औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए बजट में बिहार को विशेष धनराशि दी जानी चाहिए। बिहार में कई छोटे और मंझोले उद्योग बंद होने व विलुप्त होने की कगार पर है। यहां निवेश कम हो रहा है। इस पर केन्द्र सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। बजट में सबके लिए सब कुछ हो।''

**-श्री सुभाष पटवारी,** पूर्व उपाध्यक्ष, बी.सी.सी.आई

''केन्द्र सरकार को इनकम टैक्स के स्लैब में निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। क्योंकि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है उसे ध्यान में रखते हुए इस स्लैब को 6 लाख तक करना चाहिए। रोड एवं मेडिकल पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। आज भी अधिकतर लोग अपना इलाज कराने के लिए राज्य के बाहर जाते हैं।'' **-श्री अशोक कुमार,** सदस्य, बी.सी.सी.आई.

''प्रदेश में स्वास्थ्य की स्थिति खराब है। ऐसा एक भी अस्पताल नहीं है जहाँ लोगों का सही इलाज हो सके । लगभग यही हाल रोड का भी है। बिहार के कई हाईवे की स्थिति खराब है। केन्द्र को इसपर ध्यान देने की

जरूरत है। जहां तक इनकम टैक्स की बात है निश्चित रूप से सरकार को इनकम टैक्स के स्लैब को 6 लाख जरूर करना चाहिए।''

– श्री श्याम सुन्दर हिसारिया, सदस्य, बी.सी.सी.आई

''महंगाई को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स के स्लैब को 6 से 7 लाख करना चाहिए । बिहार में रोड की स्थिति भी ठीक नहीं है। केन्द्र सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। जहां तक ई–कॉमर्स की बात है केन्द्र सरकार को निश्चित रूप से विशेष ध्यान देना चाहिए । साथ ही एफडीआई पर भी ध्यान देने की जरूरत है।'' – श्री सुरेश प्रकाश गुप्ता, पुर्व उपाध्यक्ष, बी.सी.सी.आई

''पिछले कुछ वर्षो से ऐसा देखने को मिल रहा है कि बजट में जो भी घोषणाएं की जाती हैं उसमें अपने देश के परिवेश को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता है। केन्द्रीय मंत्री विदेशों से अपने देश की तुलना करने लगते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि अपने देश के परिवेश को ध्यान में रखते हुए बजट की घोषणा होनी चाहिए।''

–श्री राम चन्द्र प्रसाद, संयोजक, लाईब्रेरी एण्ड बुलेटीन उपसमिति

''इनकम टैक्स के स्लैब को निश्चित रूप से 6 लाख कर देना चाहिए। इससे आम लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। बिहार में स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है उसमें भी सुधार करने की जरूरत है। इसी तरह रोड पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है । अगर केन्द्र सरकार विशेष पैकेज बिहार को देती है तो फिर कुछ उम्मीद नजर आएगी। ''

– श्री अनिल कुमार पचीसिया, सदस्य, बी.सी.सी.आई

''लेबर रिफॉर्म की जरूरत है। इस बजट बिहार को कई उम्मीदें हैं। शिक्षा स्वास्थ्य के दिशा में काम के लिए विशेष धन जरूरी है। स्पेशल पैकेज मिले तो काफी लाभ होगा।'' –डॉ.बी.बी. वर्मा, संयोजक, लेबर सब कमीटी

''लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बजट में विशेष प्रावधान हो। गैस पाइप लाइन बिछाने, मेट्रो परियोजना की मंजूरी आदि के लिए बजट में अतिरिक्त धनराशि बिहार को मिले।''–श्री ए. एम. अंसारी, सदस्य,बी.सी.सी.आई

(साभार–हिन्दुस्तान 14.02.2016)

## विकास को बढ़ावा देने वाला हो बजट

बजट विकास को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए, यदि इसे क्रियान्वित किया जाना है तो सबसे जरूरी है कि स्पेशल इन्सेन्टिव पर जोर दिया जाए। उदाहरण के लिए नए उद्योग के लिए सेल टैक्स में छूट दी जाए। टैक्स एक्सपर्ट पी.के. अग्रवाल ने बताया कि इसके अलावा राज्य को स्पेशल स्टेटस दिए जाने से युवाओं और नए उद्यमियों को भी बल मिलेगा। प्रतिस्पर्द्धात्मक रवैये को एक आधार देने का काम बजट के माध्यम से भी संभव है, विशेष रूप से सर्विस टैक्स की छूट सीमा को दस लाख रूपए से बढ़ाकर 25 लाख रूपए किया जाना चाहिए, इससे काफी हद तक तक नए क्षेत्र के उद्योग जो सर्विस सेक्टर के हैं, को गति देने में एक बड़ा कदम साबित होगा साथ ही सर्विस क्लास के नजरिये से फिर से सेक्शन 16 के अंतर्गत स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंट्रोड्यूश किये जाने की आवश्यकता है, इससे सैलरी होल्डर को लाभ होगा।

(साभार: आईनेक्स्ट 19.02.2016)

# बिहार चैम्बर अध्यक्ष ने मिथिलांचल इण्डस्ट्रियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित "मिथिलांचल के आर्थिक विकास" विषयक सेमिनार को किया संबोधित

सेमिनार में मंचासीन बाँये से श्री शिव भगवान गुप्ता, श्री ओ.पी. साह, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज,प्रो. (डा.) साकेत कुशवाहा, कुलपति, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, श्री जय कुमार सिंह, माननीय उद्योग मंत्री, श्री ललन सराफ, माननीय विधान पार्षद एवं श्री संतोष पंसारी, अध्यक्ष, मिथिलांचल इण्डस्ट्रीयल चैम्बर ऑफ कॉमर्स।

सेमिनार को संबोधित करते श्री ओ.पी. साह, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज। मंचासीन (बांये से) प्रो. डा. साकेत कुशवाहा, कुलपति, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, श्री जय कुमार सिंह, माननीय उद्योग, मंत्री, श्री ललन सराफ, माननीय विधान पार्षद एवं श्री संतोष पंसारी, अध्यक्ष, मिथिलांचल इण्डस्ट्रीयल चैम्बर ऑफ कॉमर्स।

मिथिलांचल इण्डस्ट्रियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स (एमआईसीसी) के तत्वावधान में नाबार्ड, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कॉमर्स एण्ड एमबीए विभाग, रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा मिड टाउन तथा निर्मली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से ''मिथिलांचल के आर्थिक विकास'' पर दिनांक 03 फरवरी, 2016 को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में 14वें सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार की अध्यक्षता मिथिलांचल इण्डस्ट्रियल चैम्बर के अध्यक्ष श्री संतोष पंसारी ने की।

इस अवसर पर श्री जय कुमार सिंह, माननीय उद्योग मंत्री, मुख्य अतिथि प्रो. (डॉ.) साकेत कुशवाहा, कुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, श्री एल. के. सराफ, माननीय विधान पार्षद एवं श्री ओ. पी. साह, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

माननीय उद्योग मंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि 2011 में बनी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति का समय अब पूरा होने वाला है। नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति सरकार जून माह में घोषित कर देगी। इसके पूर्व बिहार को औद्योगिक प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए उद्यमियों से सुझाव भी लिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि उद्योग मित्र का गठन कर उद्यमियों को एक नया तोहफा प्रदान किया है।

उन्होंने कहा कि बिहार को विभिन्न क्षेत्रों में बॉट कर औद्योगिक विकास किया जाएगा। यह क्षेत्र में उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित होगा। इससे बिहार का समेकित विकास संभव होगा। औद्योगिक विकास से ही प्रदेश के युवाओं का पलायन रोका जा सकता है। श्री सिंह ने कहा कि संस्कृति एवं सभ्यता के मामले में मिथिला काफी समृद्ध क्षेत्र है। इससे बिहार को अन्यत्र सम्मान मिलता है। अब इस क्षेत्र के औद्योगीकरण की आवश्यकता है।

माननीय उद्योग मंत्री ने आगे कहा कि बिहार के औद्योगीकरण का आधार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होगा। इसीलिए खाद्यान्न, फल, सब्जी आदि की उपलब्धता के आधार पर जोन में बांटा जायेगा। उद्योगों की स्थापना के लिए जमीन मुहैया करायी जायेगी।

श्री ललन सराफ, माननीय विधान पार्षद ने सेमिनार को संबोधित

करते हुए कहा कि राज्य सरकार देश के समुन्नत प्रदेशों के समकक्ष बिहार को लाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए आवश्यक है कि उद्यमी भी सरकार के कदम से कदम मिला कर चलें। उन्होंने आगे कहा कि नई औद्योगिक नीति में कई महत्वपूर्ण विन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने शराब बंदी से होने वाली राजस्व हानि को कर चुका कर दूर करने में उद्यमियों से सहयोग की अपील की।

श्री ओ. पी. साह, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने अपने संबोधन में कहा कि मिथिलांचल के विकास के लिए आवश्यक कारक- सड़क संपर्क, बिजली, विधि व्यवस्था, गुड गवर्नेंस उपलब्ध है। इसके बावजूद औद्योगीकरण नहीं होने के लिए अन्य कारकों के लिए स्थानीय उद्यमी भी जिम्मेवार हैं । उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और आईटी के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। श्री साह ने नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में वैट और प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से खाद्य प्रसंस्करण एवं पर्यटन को मुक्त रखने की सरकार से अपील की। उन्होंने कहा कि सिंगल विण्डो सिस्टम के तहत उद्योग मित्र में संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों का एक जगह एकत्रित होकर उद्यमी की समस्या को सुलझाने, उचित सलाह एवं मार्गदर्शन देने के लिए प्रत्येक बुधवार को बैठक होती है।

सेमिनार को अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। श्री विनोद पंसारी ने उद्योग मंत्री को स्मार-पत्र सौंपा। इस अवसर पर ''उद्यम'' नामक स्मारिका का विमोचन भी किया गया जिसमें उद्योग संबंधित महत्वपूर्ण आलेख प्रकाशित किये गये हैं। धन्यवाद ज्ञापन रॉटरी मिड टाउन के अध्यक्ष श्री सुधीर झा ने किया।

## आपराधिक शिकायतों के लिए '24x7' हेल्पलाइन

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अनुसंधान व पुलिसिंग में नई टेक्नोलाजी को शामिल करें। इस क्रम में यह निर्णय लिया गया कि डी.जी.पी की मानीटरिंग में पुलिस मुख्यालय में एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाएगा जो 24 घंटे काम करेगा। कहीं से भी लोग इस नंबर पर अपराध से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। डीजीपी स्वयं इसे देखेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफार्म भी उपलब्ध कराया जाएगा जहां लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। पुलिस त्वरित गति से इन शिकायतों पर कार्रवाई करेगी। अपने सात सर्कुलर रोड स्थित कैंप कार्यालय में विधि-व्यवस्था से संबंधित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने यह बात कही। पुलिस भर्ती की प्रक्रिया में सुधार को ले मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए मैनुअल में आवश्यक संशोधन किया जाए। (साभार-दैनिक जागरण:12.02.2016)

## मॉडल शहर बनेगा पटना: श्री तेजस्वी

### जिला कार्यान्वयन समिति की बैठक में प्रभारी मंत्री ने कहा-योजनाओं में खामियों को करें दूर

पटना को मॉडल शहर के रूप में विकासित करने की तैयारी चल रही है। इस काम में सभी का सहयोग जरूरी है। जिला के प्रभारी मंत्री के रूप में पहली बैठक में कुछ कमियां सामने आई है जिसे दूर कराया जाएगा। उक्त बातें प्रभारी मंत्री सह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने समाहरणालय में कार्यान्वयन समिति की बैठक के बाद कही । बैठक में नए वित्तीय वर्ष के लिए जन प्रतिनिधियों की अनुशंसा प्राप्त कर जल्द ही कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश दिया गया है। बैठक का संचालन जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने किया।

बैठक में मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के लंबित होने का मामला विधायकों ने उठाया। चापाकल और ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्यवन में संतोषनजक कार्य नहीं कराए जाने का मुद्दा जन प्रतिनिधियों ने उठाया। उप-मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सेतु योजना के लिए उपलब्ध राशि एवं खर्च की विस्तृत समीक्षा की। उन्होने कहा कि सौंदर्यीकरण एवं विकास के लिए प्राप्त राशि का उपयोग सही ढंग से किया जाना चाहिए।

उप-मुख्यमंत्री ने विकास फंड का उपयोग सही ढंग से समय सीमा के भीतर करने का निर्देश दिया। (विस्तृत-दैनिक जागरण : 14.02.2016)

## केन्द्र से बिहार को मिले 1766 करोड़

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बिहार के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के तहत 1766.53 करोड़ रूपए जारी किए हैं। इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्वीकृति आदेश जारी किया। हालांकि राज्य के वित्त विभाग को इस संबंध में सूचना नहीं मिली है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीन दिन पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली से मुलाकात कर बिहार की लंबित परियोजनाओं के लिए 16,565 करोड़ देने का अनुरोध किया था। गौरतलब है कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान के तहत 12 हजार करोड़ 12 वीं पंचवर्षीय योजना के तहत मिलने है। इससे संबंधित योजनाओं को इसी अवधि में पूरा किया जाना है। इसका उद्देश्य राज्य में आधारभूत संरचना की कमी को दुरूस्त करना है। किंतु 12वी पंचवर्षीय योजना के तहत स्वीकृत 10 हजार 500 करोड़ में मात्र 2832.62 करोड़ एवं 10वीं व 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए तय 1500 करोड़ में 884.66 करोड़ ही केन्द्र से मिले हैं। अब भी नई परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए 615.90 करोड़ चाहिए। बीते वर्षों में केन्द्र से मिले 3717.28 करोड़ के मुकाबले बिहार ने 4706.65 करोड़ विभिन्न योजनाओं पर खर्च किए। खर्च राशि का प्रतिवेदन तथा 4266.85 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र नीति आयोग को भेजा जा चुका है। राज्य सरकार ने इस वर्ष नए परियोजना के लिए 5152.70 करोड़ तथा पुरानी योजना के लिए 212.74 करोड़ यानी कुल 5365.44 करोड़ देने का प्रस्ताव नीति आयोग को भेजा है।

(साभार-हिन्दुस्तान: 09.02.2016)

## जीएसटी पर अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष बने मित्रा

केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा को वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नवंबर 2015 में इसके प्रमुख के.एम. मणि के इस्तीफा देने के तीन महीने बाद यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब बजट सत्र शुरू होने वाला है। (साभार-बिजनेस स्टैंडर्ड 20.02.2016)

## जीएसटी को लेकर जागरूक करेगा वाणिज्य कर विभाग

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर वाणिज्य कर विभाग में तैयारी शुरू हो गई है। विभाग में अलग से एक सेल का गठन किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी को दी गई है और उनकी टीम में संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त और सहायक आयुक्त की भी तैनाती हुई है। जहां जीएसटी पर लगातार काम चल रहा है, लेकिन विभाग के सामने कारोबारियों को जीएएटी के बारे में जागरूक करना एक चुनौती है। पहले चरण में कारोबारियों के पैन का मिलान एनएसडीएल के डाटा से कराया गया है। जागरूकता अभियान में विभाग कारोबारी संगठनों से भी मदद लेगा। संभावित जीएसटी कानून में पैन महत्वपूर्ण है। नई कर प्रणाली में जो पंजीयन नंबर होगा उसमें दस डिजिट कारोबारियों का पैन नंबर ही होगा। अगर पैन नंबर सही नहीं हुआ तो जीएसटी में कारोबारियों को पंजीयन नंबर को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वाणिज्य कर के उपायुक्त आशोक झा और सहायक आयुक्त अजिताभ मिश्र ने जीएसटी की बारीकियों के बारे में जानकारी दी। (साभार: दैनिक भास्कर-12.02.2016)

## पेशाकर न दिया तो लगेगी पेनाल्टी

वाणिज्य कर विभाग पेशाकर नहीं जमा करने वालों पर पेनाल्टी करेगा। पेनाल्टी कंपनी में कार्यरत कर्मचारी एवं कंपनी दोनों पर होगी। अगर आपकी सालाना आमदनी 3 लाख से अधिक है या कारोबार का सालाना टर्नओवर 10 लाख से अधिक है, तो वाणिज्य कर अंचल कार्यालय जाएं और पेशाकर में रजिस्ट्रेशन कराकर टैक्स जमा कर दें। 29 फरवरी के बाद पेशाकर के अलावा पेनाल्टी देनी पड़ेगी। **कितनी होगी पेनाल्टी:** 29 फरवरी तक पेशाकर

जमा नहीं करने पर 2 प्रतिशत ब्याज प्रतिमाह देना होगा । यदि कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उसे प्रतिदिन 10 रूपये और अधिकतम 500 रूपये जुर्माना देना होगा। विभाग के सभी अंचलों में रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर की व्यवस्था की गई है। (साभार-हिन्दुस्तान:06.02.2016)

## पटना में 20 चेकपोस्ट बनाए जाएंगे

एक अप्रैल से सूबे में शराबबंदी के बाद शहरी क्षेत्रों में 20 स्थानों पर चेकपोस्ट खोले जाएंगे। एसएसपी के निर्देश पर सभी 20 स्थानों पर भवन निर्माण प्रमंडल की ओर से चेक पोस्ट केबिन खोलने की कवायद शुरू की गई है। जहां संचार की सारी सुविधाएं मौजूद है। एसडीओ ने बताया कि पटना शहर के बिस्कोमान गोलम्बर, धनुकी मोड़, जीरोमाइल, छोटी पहाड़ी, टोल प्लाजा एनएच-30 आरओबी के पूरब दीदारगंज, फतुहा-दनियावां रोड एनएच-30 ब्रह्मपुर स्थान, पभेड़ी मोड़ धनरूआ, बेलदारीचक गौरीचक, 90 फीट रोड पत्रकार नगर, इलाहीबाग पेट्रोलपंप गोपालपुर समेत 20 स्थानों पर चेकपोस्ट केबिन खोले जाएंगे। बिहार स्टेट बिवरेज कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित इन पोस्टों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही एक-एक कम्प्यूटर सिस्टम ऑपरेटर सहित, वायरलेस, फर्नीचर आदि की व्यवस्था की जाएगी। (साभार-हिन्दुस्तान:17.02.2016)

## हर हाल में देना होगा पेशा कर

राज्य सरकार ने पेशा कर नहीं देने वालों पर शिकंजा कस दिया है। आमदनी के साथ ही अब इसे टर्नओवर से भी जोड़ दिया गया है। इसके लिए सरकार ने पेशा कर देने वालों को चार श्रेणी में बांटा है। इसके दायरे में आने वालों को हर हाल में पेशाकर का भुगतान करना होगा। नई व्यवस्था में केवल ऑपरेटर और टैक्सी मालिकों के साथ कोचिंग और हेल्थ सेंटर चलाने वालों को एकमुश्त सालभर का पेशा कर देना हागा । हालांकि सरकार ने पेशाकर के रूप में भुगतान की जाने वाली अधिकतम 2500 की सीमा को बनाए रखी है। राज्य कैबिनेट ने पेशाकर से जुड़े फैसले पर मुहर लगा दी। कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि नई व्यवस्था में पेशाकर देने वालों को चार श्रेणी में बांटा गया है। आमदनी के आधार पर पहले से तय श्रेणी तो बनी रहेगी, तीन और नई श्रेणियों को टर्न ओभर से जोड़ दिया गया है। जो व्यक्ति एक से अधिक श्रेणी में आते हों वह एकमुश्त अधिकतम 2500 रूपए सालाना पेशाकर अदा करेंगे ।

**श्रेणी-1 (आमदनी पर)**

| | |
|---|---|
| तीन लाख की आमदनी वाले | 00 |
| तीन से पांच लाख आमदनी वाले | 1000 |
| पांच से दस लाख आमदनी वाले | 2000 |
| दस लाख से अधिक आमदनी वाले | 2500 |

**श्रेणी-2 (टर्न ओवर पर)**

| | |
|---|---|
| दस लाख का टर्न ओवर | 00 |
| दस से बीस लाख टर्न ओवर | 1000 |
| बीस से 40 लाख टर्न ओवर | 2000 |
| 40 लाख से अधिक टर्न ओवर | 2500 |

**श्रेणी-3 (भाड़े पर वाहन चलाने वालों के लिए)**

| | |
|---|---|
| भाड़े पर चलने वाले कार मालिक | 1000 |
| एक बस या ट्रक के मालिक | 1500 |
| एक से अधिक वाहनों को भाड़े पर चलाने पर | 2500 |

**श्रेणी-4 (एकमुश्त ढाई हजार जमा करने वाले)**

केबल ऑपरेटर, फिल्म वितरक, सिनेमा हॉल और थियेटर मालिक,मैरेज हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल चलाने वाले, हॉस्टल चलाने वाले, स्वास्थ्य केंद्र चलाने वाले, कोचिंग संचालक, पेट्रोल पंप मालिक, विदेशी शराब के लाइसेंसधारक, ईंट भट्ठा मालिक, बैंकिग कंपनियां और निबंधित कंपनियां । (साभार:- हिन्दुस्तान 03.02.2016)

### राज्य में वाणिज्य कर वसूली की बढ़ोत्तरी पूरे देश में सर्वाधिक

## यूपी ने बिहार वाणिज्य कर से सीखा सफलता का गुर

कर संग्रह के मामले में वाणिज्य कर विभाग, बिहार का प्रदर्शन पिछले कुछ सालों से बेहतरीन रहा है। साल दर साल कर वसूली में चालू वित्तीय वर्ष में करीब 28 फीसदी की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यह देश में सर्वाधिक है। दूसरे राज्य बिहार के वाणिज्य कर विभाग के प्रदर्शन से काफी प्रभावित हैं। पटना में यूपी वाणिज्य कर के कमिश्नर मुकेश कुमार मेश्राम ने विभागीय अधिकारियों से मिलकर यह जानने का प्रयास किया कि किस तरह से विभाग ने कर में बढ़ोतरी की है।

| बिहार | | |
|---|---|---|
| वर्ष | वाणिज्य कर संग्रह | बढ़ोतरी |
| 2013-14 | 10380 करोड़ | 19 % |
| 2014-15 | 13100 करोड़ | 20 % |
| 2015-16 | 18000 करोड़ | 28 % |
| **उत्तर प्रदेश** | | |
| वर्ष | वाणिज्य कर संग्रह | बढ़ोतरी |
| 2013-14 | 39707 करोड़ | 9 % |
| 2014-15 | 42883 करोड़ | 8 % |
| 2015-16 | 45885 करोड़ | 7 % |

नोट: 2015-16 के आंकड़े अनुमानित हैं।

(साभार दैनिक भास्कर 18/2/16)

## मकान बनवाना हो जाएगा महंगा

बिहार में मकान बनवाना और भी महंगा हो जाएगा। वाणिज्य कर विभाग ने अगले तीन साल के लिए प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत कम्पाउंडिंग टैक्स बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। हर साल 10 प्रतिशत कंपाउंडिंग टैक्स पहली अप्रैल से लागू होगा।

लगातार तीन वर्ष तक 10 प्रतिशत कंपाउंडिंग टैक्स के बढ़ने से ईंट की कीमत बढ़ने से मकान बनाने या फ्लैट खरीदने में तीन से चार प्रतिशत कीमत में बढ़ोतरी हो जाएगी। विभाग के अधिकारी ने बताया कि पूर्व में वाणिज्य कर विभाग के एक अधिसूचना के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 ईंट-भट्ठा व्यापारियों को हर साल 10 प्रतिशत अधिक टैक्स देने की घोषणा की गई थी जो इस साल खत्म होना था। राज्य सरकार ने एक बार फिर अगले तीन साल के लिए कंपाउंडिंग टैक्स में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। इधर विभाग ने एयरलिफ्ट फिल्म के टैक्स फ्री होने की अधिसूचना भी जारी कर दी। यह फिल्म एक साल के लिए टैक्स फ्री कर दी गई है। (साभार हिन्दुस्तान 18.02.2016)

## करदाता टैक्स के लिए पिन और पासवर्ड साझा न करें

- विभाग ने किया सावधान, कहा-वह कभी ऐसी जानकारी नहीं मांगता।
- जानकारी मांगने वाले मेल का ब्योरा incident@cert-in.org.in पर भेजें।

आयकर विभाग ने करदाताओं को सावधान करते हुए कहा कि वे अपने ई-मेल के पिन और पासवर्ड कभी किसी के साथ साझा न करें, क्योंकि वह कभी ऐसी जानकारी नहीं मांगता।

विभाग ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी करदाता इस बारे में जागरूक हों कि विभाग ई-मेल पर करदाता की गोपनीय एवं वित्तीय सूचना कभी नहीं मांगता है।

आयकर विभाग ई-मेल के जरिए क्रेडिट कार्ड, बैंक या अन्य वित्तीय खातों के पिन नंबर, पासवर्ड या इस तरह की सूचनाएं कभी नहीं मांगता। आयकर विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे ऐसे किसी मेल का जवाब न दें और अपने क्रेडिट कार्ड, बैंक या अन्य वित्तीय खातों से जुड़ी सूचनाएं साझा न करें। विभाग ई-गवर्नेंस पहल के उपयोग में बहुत आगे है। करदाताओं को ज्यादातर सूचनाएं ई-मेल और एसएमएस के जरिए दी जाती है। (साभार-हिन्दुस्तान 06.02.2016)

## आयकर विभाग ने ई-मेल प्रक्रिया पर जारी किए निर्देश

सरकार ने टैक्स पेयर्स को नोटिस का जवाब अपने पंजीकृत ई-मेल पते से करने की अनुमति दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ईमेल के इस्तेमाल के बारे में निर्देश जारी किए हैं, इससे कागज रहित प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा। निर्देशों के अनुसार विभाग प्रमुख रूप से नोटिस या किसी प्रकार का अन्य ब्यौरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उपलब्ध कराए गए ई-मेल पते या पिछले आयकर रिटर्न में दर्ज पते पर भेजेगा । किसी कम्पनी के मामलों में कारपोरेट मामलो के मंत्रालय की या कंपनी के उपलब्ध कराए गए ई-मेल पते को प्रमुख पता माना जाएगा। निर्देशों में कहा गया है कि आकलन अधिकारी किसी नोटिस का जवाब यदि टैक्सपेयर के प्राथमिक ई-मेल पते से आता है, तो इसे नोटिस का वैध जवाब माना जाएगा।

(साभार: आईनेक्स्ट 06.02.2016)

## स्थिर कर प्रणाली का वादा

- **मेक इन इंडिया अब तक का सबसे बड़ा ब्रांड**
- **कारोबार को सुगम बनायेगी सरकार : मोदी**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेशकों से स्थिर और पारदर्शी कर प्रणाली का वादा किया है। उनसे कहा है कि यह भारत में निवेश का सबसे अच्छा समय है। सरकार सुधारों की दिशा में आगे बढ़ रही है। लाइसेंसिंग और मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का गठन अंतिम चरण में है। भारत आज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) के लिए सबसे खुले देशों में से एक है। प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक राजधानी में मेक इन इंडिया को देश में अब तक का सबसे बड़ा ब्रांड करार दिया।

प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक राजधानी में मेक इन इंडिया वीक का शुभारंभ किया। मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को और अधिक रफ्तार देने के मकसद से इस फ्लैगशिप कार्यक्रम को तैयार किया गया है। पीएम बोले कि कराधान के मोर्चे पर सरकार ने कई बदलाव किए हैं। वह कभी भी पिछली तारीख से टैक्स वसूलने के हक में नहीं रही है और न रहेगी। कर प्रणाली को पारदर्शी और स्थिर बनाए जाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। लाइसेंस, सुरक्षा और पर्यावरण मंजूरियों से जुड़े प्रावधानों को सरल व तर्कसंगत बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कार्यक्रम में कई देशों के प्रमुख, कारोबारी दिग्गज और विदेशी प्रतिनिधि मौजूद थे। मोदी के अनुसार, मेन इन इंडिया ब्रांड ने दुनियाभर में संस्थानों, उद्योगों, लोगों और मीडिया का ध्यान खींचा है। यह देश की सामूहिक इच्छा को प्रकट करता है। हमें क्षमता बढाने के लिए मजबूर करता है।

भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) के लिए सबसे खुले देशों में से एक करार देते हुए मोदी ने कहा कि राजग सरकार आने के बाद से एफडीआइ में 48 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। वह भारत को ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। कारोबार की सुगमता के लिए चौतरफा जोर है। भारत 3 'डी' संपन्न है। इनमें डेमोक्रेसी (लोकतंत्र), डेमोग्राफी (आबादी) और डिमांड (मांग) शामिल है। इसमें एक और डी जोड़ा गया है। यह है डीरेगुलेशन यानी ढील देना। राज्यों के स्तर पर भी बदलाव हो रहे हैं। उनके बीच बारोबार सुगमता और बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रहा है।

2014-2015 में भारत ने ग्लोबल ग्रोथ मे 12.5 फीसद का योगदान दिया। युवा उद्यमी नए रास्ते दिखा रहे हैं। सरकार उन्हें समर्थन देने को प्रतिबद्ध है। पीएम ने अपील की कि भारत में मौजूद अपार अवसरों का फायदा उठाने के लिए उद्योगपति जल्द से जल्द भारत पर फोकस बढाएं।

(साभार-दैनिक जागरण 14.02.2016)

## कराधान पर उद्योग का भरोसा बहाल करे सरकार-एसोचैम

एसोचैम का मानना है कि कारोबार में सुगमता की स्थिति में सुधार के लिए अभी बहुत कुछ किये जाने की जरूरत है। एसोचैम के अध्यक्ष श्री सुनील कनोरिया ने कहा है कि कर मुद्दों पर उद्योग जगत को लेकर अधिकारियों में भरोसे की कमी है।

सरकार से कर प्रशासन के सरलीकरण की मांग करते हुए कनोरिया ने कहा कि कर के मामलों में अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। कर चुनौती बन रहा है। मंत्रालय, अधिकारी अभी कर प्रशासन के मामले में सरलीकरण नहीं ला पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। कनोरिया ने कहा कि अधिकारियों के मन मे कंपनियों के प्रति सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। यह पूरी तरह विश्वास की कमी है। (साभार: राष्ट्रीय सहारा-18.02.2016)

## नेपाल, भूटान से आयातित बिजली पर सीमा शुल्क नहीं

सरकार ने भूटान और नेपाल से आयातित बिजली पर सीमा शुल्क छूट की मंजूरी दे दी है। साथ ही संयंत्र से उत्पादित बिजली पर 89 पैसा प्रति यूनिट तक शुल्क लगेगा। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने एक अधिसूचना में कहा, 'नेपाल और भूटान से आयातित बिजली पर सीमा शुल्क 'शून्य' होगा। भारत फिलहाल भूटान से 1.5 मेगावाट पनबिजली भूटान से आयात करता है। यह 2022 तक बढ़कर 8000 मेगावाट हो जाने का अनुमान है। साथ ही नेपाल से भी जल्दी ही आयात शुरू हो सकता है। अधिसूचना के अनुसार सेज के प्रोसेसिंग एरिया से उत्पादित बिजली के लिए अगर आयातित कोयले का उपयोग किया जाता है तो इस पर 40 पैसा प्रति यूनिट व घरेलू कोयले के उपयोग पर 65 पैसा प्रति यूनिट का शुल्क लगेगा।

(साभार: राष्ट्रीय सहारा-18.02.2016)

15 मार्च तक फैसला सुनाएगा बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग

## बिजली खरीद सस्ती तो लोगों को क्यों मिल रही है महंगी?

राज्य के उद्यमियों ने कहा कि बिजली कंपनी की बिजली खरीद सस्ती हो रही है, तो फिर शुल्क में वृद्धि क्यों? वितरण कंपनियों ने आयोग के पास दिए प्रस्ताव में दिखाया है कि 2014-15 में बिजली खरीद की एवरेज दर 3.77 रूपए व 2015-16 में 3.72 रूपए प्रति यूनिट रही है। ऐसे में सस्ती खरीद का लाभ उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए।

दिनांक 10.02.2016 को विनियामक आयोग कोर्ट रूम में अध्यक्ष एसके नेगी, सदस्य एससी झा, सदस्य राजीव अमित ने बिजली कंपनी के टैरिफ पेटीशन पर सुनवाई की। 27 जनवरी से जनसुनवाई की शुरूआत गया से हुई थी, जो बुधवार को पूरी कर ली गई। आयोग ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हैं। फैसला 15 मार्च तक आने की संभावना है। 7 प्रमंडलों में हुई जनसुनवाई के दौरान कुल 40 लोगों ने टैरिफ पर सुझाव दिए। सबने बढ़ोतरी का विरोध किया। उन्होंने समय पर बिजली बिल देने, व्यस्था में सुधार करने, उपभोक्ताओं के शिकायत को सुनने और तत्काल दूर करने की मांग की। जनसुनवाई की शुरूआत करते हुए बीआईए के एनर्जी कमेटी चेयरमैन संजय भरतिया ने मंथली मिनिमम चार्ज (एमएमसी) और केवीए चार्ज को हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनी उपभोक्ताओं के घरों में प्रीपेड मीटर लगा कर बिल पर 2 फीसदी का छूट देने, छोटे दुकानदारों को आधा किलोवाट का कनेक्शन देने, बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए ओटीएस लगाने और फैक्ट्री खोलने वाले उद्यमियों को मीटर की तरह किराए पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर्मर देने की मांग की। संजय भरतिया ने कहा कि जेनरेशन व ट्रांसमिशन कंपनियों को ही फिक्स चार्ज लेने अधिकार है। डिस्ट्रीब्यूसन कंपनियां तो केवल बिजली खरीदने और बेचने का काम करती है। इस कारण डिस्ट्रीब्यूसन कंपनियों को फिक्स चार्ज नहीं मिलनी चाहिए। यदि कोई उद्यमी अपनी फैक्ट्री दो माह बंद कर देता है तो भी बिजली कंपनी फिक्स चार्ज ले लेती है। इसी तरह कोई घरेलू उपभोक्ता घर बंद कर बाहर चला जाता है तो उसे फिक्स चार्ज देनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि जितनी बिजली मीटर में उठती है, उतनी ही बिजली बिल उपभोक्ताओं से ली जाए। वर्तमान स्थिति में यदि बिजली कंपनियां सप्लाई

जीरो भी कर देगी तो फिक्स डिमांड चार्ज के हिसाब से करोड़ो कमाएगी।

### बिजली कंपनियां डाटा में हेरफेर कर पैसा वसूलना चाहती है

बिहार स्टील मेनुफेक्चर एसोसिएशन के सचिव संजीव चौधरी ने कहा कि बिजली परचेज का दर लगातार घट रहा है। ऐसी स्थित में दर बढ़ाने का काई औचित्य नहीं है। बिजली कंपनियां डाटा में हेरफेर कर केवल सरकार और उपभोक्ताओं से पैसा वसूलना चाहती है। उपभोक्ता डोमन सिंह ने कहा कि बिजली दर के बढ़ोतरी का विरोध करते हुए दर घटाने की मांग की। कहा कंपनियां आंकड़ों का जाल दिखाकर सरकार और आम लोगों से पैसा वसूल रही है। मीटर में उठने वाली यूनिट के अलावे फिवस चार्ज और समय पर बिजली जमा नहीं करने वालों से चक्रवृद्धि ब्याज वसूलती है। बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से वकील अर्जुन लाल ने दर में बढ़ोतरी का विरोध किया। कहा, बिजली कम्पनियाँ रेलवे को सप्लाई की जाने वाली बिजली के दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव नहीं दिया है। जबकि, अन्य एचटी उपभोक्ताओं के बिजली दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। कारण हमारे पास कोई विकल्प नही है। इसका जबाव मंगलवार को बिजली कंपनी के इंजीनियरों ने दिया था। इंजनियरों का तर्क था कि रेलवे हमारा बड़ा उपभोक्ता है। वह अपना ग्रिड सब स्टेशन और पावर सब स्टेशन भी तैयार कर रहा है। यदि बढ़ोतरी की जाती है, तो संभव है कि वह हमसे पावर लेना बंद कर देगा। आयोग के सचिव परमानंद सिंह, उपसचिव लक्ष्मण भगत, नंद शर्मा, बीआईए के उपाध्यक्ष उमेश पोद्दार, बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के एनर्जी कमेटी चेयरमैन सुभाष पटवारी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूसन कंपनी के विद्युत अधीक्षण अभियंता कॉमर्शियल पुरूषोत्तम प्रसाद, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी के कार्यपालक विद्युत अधीक्षण अभियंता कॉमर्शियल पुरूषोत्तम कुमार आदि मौजूद थे। (साभार : दैनिक भास्कर 11.02.2016)

**GOVERNMENT OF INDIA**
**OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS (PERVENTIVE)**
5th Floor, Central Revenue Building, Bir Chand Patel Path, Patna - 800 001
E-mail : cuspatna@excise.nic.in Phone-0612-2504998 Fax : 0612-2505506
C. No. VIII(48)5-16/Cus/Tech/Public Notice/2011/

**PUBLIC NOTICE NO. 12 / 2015**
**Dated : 29.12.2015**

**Subject :** Monitoring of Nepalese vehicles entering India for one day regarding.

Attention is invited to all importers, Exporters, CHA, Members of Trade & Industry and all concerned towards the movement of Nepalese registered vehicles entering India for one day to visit nearest market place or railhead and return back to Nepal. Though a system of issuing temporary pass to Nepalese vehicle entering India for one day was already introduced; however the same is again being reiterated for information of the all concerned.

2. At the time of entry of Nepalese vehicle, concerned Land Customs Station (LCS) will issue a "Temporary Pass" indicating vehicle no. & make, date and time of entry, expected date and time of exit. The driver/owner of the Nepalese vehicle is required to approach the concerned designated officer posted at Land Customs Station (LCS) at the time of entry of vehicle to obtain a "Temporary Pass". Further he is required to surrender the pass at the time of exit through LCS. Vehicle is required to carry this "Temporary Pass" alongwith it during its movement in India.
3. For period of stay longer than one day, the owner/driver of the Nepalese vehicle is required to approach Indian Embassy, Kathmandu or Consulate General of India, Birganj or Embassys camp office at Biratnagar for obtaining vehilcles permit for entry into India. Entry of the vehicle based on said permit issued by Embassy or Consulate General has to be produced before Customs during its entry into India through LCS and accordingly entry of date and time will be made on the vehicle permit.
4. Over staying of vehicle beyond one day on the basis of "Temporary Pass" issued by Customs will viewed seriously and appropriate action will be taken against the defaulter.
5. Any difficulty in implementation of the public notice may be braught to the notice of this office.

(V.C. Gupta)
Commissioner
Customs (Prev), Patna

To,
1. All Trade Association.
2. the CHA Association.
3. Notice Board of all LCSs/Divisons.

C.No.: As above / 10729-10747 | Dated : 29.12.2015

## अब बिना अनुमति के नहीं आ सकेंगे नेपाली वाहन

बिहार में बिना अनुमति के नेपाल के वाहन या नेपाली नंबर वाले वाहनों का प्रवेश नहीं होगा। अब राज्य की सीमा में प्रवेश करने से पहले उन्हें इसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। बिहार और नेपाल की सीमा पर मौजूद कस्टम विभाग के 11 स्टेशनों से परमिट बनाने होंगे। पहले यह नियम था कि बिहार में 24 घंटे के लिए नेपाली नंबर वाले वाहनों के प्रवेश पर किसी तरह की अनुमति या परमिट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इससे ज्यादा समय तक अगर किसी वाहन को बिहार में रूकना होता था, तभी उसे परमिट बनवाने की जरूरत पड़ती थी।

लेकिन, अब इस नियम को बदलने से संबंधित आदेश को जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार को इसका कड़ाई से पालन करने को कहा है। इस संबंध में बिहार में मौजूद केंद्रीय कस्टम विभाग को पत्र भी भेजा गया है, बिहार सीमा में मौजूद कस्टम विभाग के 11 स्टेशनों पर नेपाली वाहनों से जुड़े सभी कागजात और संबंधित ड्राइवर का लाइसेंस, आइडी प्रूफ समेत अन्य कागजातों की जांच की जायेगी।

इसके बाद ही इन्हें परमिट दिया जायेगा। यह परमिट कुछ घंटों से लेकर अधिकतम 24 घंटे तक के लिए ही दिया जायेगा, यानी नेपाली नंबर वाले वाहनों को 24 घंटे से ज्यादा बिहार में रूकने की इजाजत नहीं होगी। अगर किसी वाहन को इससे ज्यादा देर रूकना है, तो उसे भारतीय दूतावास के कार्यालय से इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना दूतावास की अनुमति के कोई भी वाहन 24 घंटे से ज्यादा समय तक किसी भी काम से यहां नहीं रूक सकते हैं। इस आदेश के मद्देनजर केंद्रीय कस्टम विभाग ने अपने 11 स्टेशनों को सघन चेकिंग के आदेश जारी कर दिये हैं। अब इन स्टेशनों पर वाहनों की चेकिंग बढ़ा दी गयी है, ताकि नेपाली नंबर वाले किसी वाहन की घुसपैठ नहीं हो सके। बिहार में गलगलिया, जोगबनी, भीमनगर, लोकाहा, पिपरा, जयनगर, सोनवर्षा, भिट्ठा मोड़, रक्सौल समेत अन्य कस्टम के स्टेशन है। अधिकारी बोले : सभी स्टेशनों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है। नेपाली नंबर के वाहनों की घुसपैठ को रोकने के लिए कस्टम अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है। – **वी.सी. गुप्ता,** आयुक्त, कस्टम विभाग

(साभार–प्रभात खबर 16.02.2016)

### सुझाव आमंत्रित

विदित हो कि पूर्व रेलवे के ZRUCC की 200वीं बैठक कोलकाता में दिनांक 30 मार्च, 2016 को निर्धारित है। इसमें चैम्बर प्रतिनिधि भाग लेंगे। किसी भी सदस्य को पूर्व रेलवे से संबंधित कोई प्रस्ताव/सुझाव देना हो तो चैम्बर कार्यालय को 15 मार्च, 2016 तक लिखित रूप में अवश्य भेजें ताकि उक्त बैठक में उन सुझावों को जोरदार ढंग से रखा जा सके।

### सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ (RTI Cell) का निर्णय

दिनांक 20 फरवरी, 2016 को चैम्बर की RTI Cell की सम्पन्न बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पूरे राज्य के व्यवसायियों एवं उद्यमियों से अनुरोध किया जाय कि जिन भी बन्धुओं को RTI करने हेतु कोई विषय हो तो, चैम्बर कार्यालय को सूचित करें ताकि उस विषय पर चैम्बर की ओर से RTI हेतु आवेदन किया जा सके। साथ ही यदि विषय व्यक्तिगत हो तो आवेदन शुल्क के रूप में 100/– रूपये भी देय होगा।

## बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए नेपाल से हुआ करार

बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए भारत व नेपाल के बीच कई समझौते हुए। पटना में कोसी व गंडक संयुक्त परियोजना की कमेटी (जेसीकेजीपी) की आठवीं बैठक में भारत की ओर से बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अरूण कुमार सिंह व नेपाल की ओर से सिंचाई विभाग के महानिदेशक रामानंद प्रसाद यादव ने हस्ताक्षर किया।

बैठक में दोनों देशों के बीच कोसी व गंडक परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए बाढ़ व सिंचाई समस्याओं पर विचार-विमर्श हुआ। दोनों देशों बीच आपसी सहयोग से आम लोगों के कल्याण व बेहतरी के लिए लंबित मुद्दों को सुलझाने पर सहमति बनी। दोनों देशों के अधिकारियों ने इस करार को भारत-नेपाल के बीच मैत्री व सहयोग की मिसाल बताया।

जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस करार के बाद नेपाल में गंडक व कोसी परियोजना पर काम करने में सुविधा होगी। इस करार के नहीं होने से नेपाल में बांधों की मरम्मत या सुदृढीकरण करने से पहले अनुमति लेने की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। नेपाल में बांधों की सुरक्षा भी कारगर तरीके से हो सकेगी। आपात स्थिति में सामान की आवाजाही में भी अब सुविधा होगी। (साभार-हिन्दुस्तान: 11.02.2016)

## कंपनियों की कारोबारी पहचान संख्या जल्द

कारोबारी सुगमता में सुधार के लिए सरकार जल्द ही कंपनियों के लिए कारोबार पहचान संख्या (बिन) जारी करेगी, जिससे विभिन्न पंजीकरण संख्याओं से छुटकारा मिलेगा। अभी कंपनियों को विभिन्न नियामकीय उद्देश्यों के लिए ये पंजीकरण संख्या हासिल करने की जरूरत होती है। यह विभिन्न नियामकीय उद्देश्यों के लिए एक पहचान संख्या के तौर पर काम करेगा और कंपनियों की कंपनी पहचान संख्या और श्रम पहचान संख्या जेसी अलग-अलग पंजीकरण संख्याएं लेने की जरूरत नहीं होगी। आमतौर पर, एक कंपनी को 18 अलग-अलग पंजीकरण संख्या लेने की आवश्यकता होती है। (सभार: बिजनेस स्टैंडर्ड 13.02.2016)

## बिहार में उद्योगों के लिए अब बनेगी एकीकृत नीति

बिहार सरकार ने अलग-अलग नीति बनाने की जगह एक ही नीति बनाने का फैसला किया है। उद्योग विभाग अब एकीकृत औद्योगिक नीति बनाएगी, जिसमें सभी उद्योगों के लिए व्यापक प्रावधान होंगे। साथ ही, इससे लालफीताशाही खत्म करने में मदद मिलेगी।

राज्य सरकार ने अपनी नई औद्योगिक नीति का मसौदा अप्रैल में पेश करने का फैसला किया है। यह नीति 1 जुलाई से लागू की जाएगी। इस नई नीति के बारे में उद्योग विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा, 'अलग-अलग नीतियों से काम बढ़ जाता है। साथ ही, सरकारी कर्मचारियों के लिए हर नीति के बारे में जानकारी रखना मुश्किल होता हे। इसे देखते हुए हमने अपनी नई औद्योगिक नीति को एकीकृत नीति के रूप में तैयार करने का फैसला किया है।

इसमें हर क्षेत्र के लिए प्रावधान होंगे। इसके तहत निर्माण (मैन्युफैक्चरिंग), आईटी, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, उर्जा, पर्यटन, आदि क्षेत्रों के लिए अब एक ही नीति होगी। इसके लिए हम हर विभाग के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। अधिकारियों के साथ बैठकें होंगी, ताकि यह एक बेहतर नीति बन सके। यह अपने आप में काफी आकर्षक नीति होगी, जिससे राज्य में बड़ी तादाद में निवेश आ सकें। इसके लिए हम पूरी शिद्दत के साथ काम में लगे हुए हैं। सचिव के मुताबिक इस नीति में उद्यमियों की सहूलियतों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही, लालफीताशाही कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा तकनीक के इस्तेमाल पर जोर रहेगा। इसके तहत विभाग ने औद्योगिक रियायतों और प्रोत्साहन राशि का वितरण ऑनलाइन करने का फैसला लिया है। सिद्धार्थ ने कहा कि राज्य सरकार उद्यमियों की दिक्कतें कम से कम करना चाहती है। (साभार: बिजनेस स्टैंडर्ड-10.02.2016)

## नई नीति में औद्योगिक विकास योजनाएं

राज्य सरकार उद्योगों से जुड़ी चार नई नीति तैयार कर रही है, जिसमें उद्योगों के विकास से संबंधित सभी योजनाओं को शामिल किया जाएगा। अलग-अलग एवं बिखरी योजनाओं के क्रियान्वयन में लग रही उर्जा को बचाने, औद्योगिक वातावरण बनाने, निवेश को प्रोत्साहित करने एवं उत्पादकों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। नीति तैयार करने के लिए उद्योगों से जुड़े लोगों की राय ली जा रही है।

उद्योग विभाग के प्रधान सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य में औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए 2016-2021 तक की नीति बनाई जा रही है। इसमें इंडस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी, हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी तथा खादी एवं हैंडलूम पॉलिसी शामिल है। इन चार नीतियों के तहत औद्योगिक विकास एवं प्रोत्साहन से जुड़ी सभी योजनाओं को शामिल किया जाएगा ताकि इनकी निगरानी सुगमतापूर्वक की जा सके। उन्होंने बताया कि ये सभी नीतियां अप्रैल के प्रथम सप्ताह में राज्य मंत्रिपरिषद के विचार के लिए रखी जाएगी। (साभार: हिन्दुस्तान 18.02.2016)

## प्रदेश में गन्ने से अधिक चीनी निकालने लगीं मिलें

- राष्ट्रीय औसत के नजदीक पहुंचा रिकवरी प्रतिशत
- बढ रहा उत्पादन, निजी हाथों को सौंपी जाएगी आठ और बंद मिलें

बिहार की चीनी मिलें अब गन्ने से अधिक चीनी निकलने लगी है। इनका रिकवरी प्रतिशत 10.68 के राष्ट्रीय औसत के नजदीक पहुंच गया है। पिछले वर्ष बिहार की चीनी मिलों का रिकवरी प्रतिशत 9.4 रिकार्ड किया गया था, जो अभी बढ़कर 10.4 हो गया हे। स्थिति से उत्साहित गन्ना उद्योग विभाग अब बंद पड़ी आठ चीनी मिलों को चालू कराने के प्रयास में फिर से जुट गया है।

गन्ना उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पिछले पांच सालों में बद पड़ी सात चीनी मिलों को निजी हाथों को सौंपा गया है। इनमें से चार में उत्पादन शुरू है। आधुनिकीकरण और उन्नत किस्म के बीज के कारण रिकवरी प्रतिशत बढ़ा है। इस वृद्धि में इन चार मिलों का भी बड़ा योगदान है। ये मिलें, हसनपुर, नरकटियागंज, हरिनगर और बगहा है। प्रदेश की 28 चीनी मिलों में से अभी 12 चालू हैं। इन 12 मिलो में से प्राइवेट कम्पनी को सौंपी गई ये चार मिलें भी शामिल हैं। पिछले कुछ सालों मे प्रदेश में चीनी का उत्पादन भी बढ़ा है। इस बार छह लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा चालू होने से प्रदेश में चीनी के उत्पादन में और वृद्धि होगी। जिन आठ मिलों के लिए फिर से निविदा आमंत्रित की जानी है उनमें हथुआ, सिवान, न्यू सिवान, गोरौल, गुरारू, वारसलीगंज, बनमनखी एवं लोहट शामिल है। एसबीआइ कैपिटल फिनांसेज को इनकी जमीन, मशीनरी एवं भवन आंकलन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

''बंद पड़ी आठ चीनी मिलों को निजी हाथों को सौंपने के लिए चार बार निविदा निकाली गई, परंतु कोई कंपनी इन्हें लेने को तैयार नहीं हुई। फिर से हम प्रयास करेंगे और जल्द ही इसके लिए निविदा आमंत्रित करें।'' -खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मंत्री गन्ना उद्योग

(साभार: दैनिक जागरण 17.02.2016)

## भूमि और अन्य संपत्तियों का ऑनलाइन निबंधन शुरू

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिवालय स्थित कार्यालय कक्ष में भूमि और अन्य संपत्तियों के निबंधन की ऑनलाइन प्रक्रिया का उद्घाटन किया। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना के समस्त निबंधन कार्यालयों के विलेखों के ऑनलाइन प्रवृष्टि एवं शुल्क जमा करने की वैकल्पिक व्यवस्था के साथ संस्था/फर्म का आवेदन व शुल्क जमा करने की वैकल्पिक व्यवस्था के उद्घाटन से अब भूमि तथा अन्य संपत्तियों का निबंधन संबंधित विक्रेता और क्रेता अपने घर बैठे पूरी कर सकते हैं। प्रधान सचिव निबंधन, उत्पाद व मद्य निषेध के.के. पाठक ने बताया कि इस प्रक्रिया के सरलीकरण से आम जनता को यह राहत मिलेगी कि वह दस्तावेजों के निबंधन से संबंधित सभी प्रकार के शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा कर सकते हैं। स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के बाद संबंधित आवेदक अपने रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित होने की तारीख निबंधित करा पाएंगे।

### होती थी लोगों को परेशानी

श्री पाठक ने बताया कि इस प्रक्रिया से आम जनता को यह राहत मिलेगी कि निबंधन के लिए नकद भुगतान करने के लिए उन्हें लंबे समय तक बैंक काउंटर में लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, साथ ही निबंधन कार्यालय में भी समय की बर्बादी नहीं होगी। संबंधित क्रेता व विक्रेता को यह भी छूट रहेगी कि अब वह डीड, राइटर अथवा वकीलों के माध्यम से न आकर मॉडल पेपर में सीधे अपना दस्तावेज ऑनलाइन के माध्यम से भेजकर विधिवत रजिस्ट्री एवं स्टाम्प शुल्क जमा कर रजिस्ट्री ऑफिस में निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर रजिस्ट्री करा सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत आम जनता को बैंक अथवा रजिस्ट्री कार्यालय में लंबी कतारों में नही खड़ा होना होगा, डीड, राइटर एवं वकीलों पर निर्भरता नहीं रहेगी। पाठक ने बताया कि सोसायटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को भी पूरे राज्य में ऑनलाइन किया गया है, इसके तहत जो व्यक्ति किसी संस्था को बिहार में पंजीकृत कराना चाहते हैं तो वह संबंधित आवेदन ऑनलाइन जमा करके सभी प्रकार के शुल्क का भुगतान पेमेंट गेटवे के माध्यम से करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। (साभार: आइनेक्सट 20.02.2016)

## बिहार से जुड़ें उद्यमी, सरकार करेगी सहयोग : जय सिंह

बिहार के उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह ने उद्यमियों से निवेदन किया है कि वे बिहार से जुड़ें और बिहार के विकास के साथ युवाओं को रोजगार देने में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि देश के जो राज्य विकास के मामले मे आगे है वहां, पर उद्योग लगाना आसान है। लेकिन बिहार जैसे पिछड़े राज्य में उद्योग लगाना चुनौती है। इस चुनौती में बिहार सरकार हरेक उद्यमी के साथ है। उन्हें हर तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएगी।

मुंबई मे देश के पहले मेक इन इंडिया सप्ताह में बिहार का प्रतिनिध्वि करने आए उद्योग मंत्री श्री सिंह ने बिहार फाउंडेशन के जरिए एयरपोर्ट के पास सहारा होटल में कुछ उद्यमियों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने उद्यमियों को आश्वास्त करते हुए कहा कि वे बिहार में निवेश करें और बिहार के विकास में भागीदार बनें। उन्होंने कहा कि हम मेक इन इंडिया के पक्ष में है। लेकिन जब तक राज्य का विकास होना तब देश का भी विकास होगा। उद्योग मंत्री श्री सिंह ने कहा कि वह मेक इन इंडिया सप्ताह में भाग लेने वाले उद्यमियो से मिलेंगे और उन्हें बिहार में भी निवेश करने के लिए निवेदन करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके निवेदन पर निवेशक बिहार आएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में बड़े उद्योग लगाने और निवेश के पक्ष में है। इसके लिए उन्होंने हर संभव सुविधा प्रदान करने की नीति स्पष्ट कर रखी है। इसलिए किसी भी निवेशक को बिहार में किसी तरह की परेशानी नही होगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बिहार की छवि खराब करने के लिए बिहार के कानून-व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री सुशासन से समझौता नहीं कर रहे हैं।

बिहार में छोटे-छोटे उद्योगों का जाल बिछ रहा है। लेकिन बाहरी निवेशकों का आना इस वजह से जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम चाहते हैं कि निवेशक बिहार में पैसे कमाएं। लेकिन हमारे युवाओं को रोजगार दें। (साभार-हिन्दुस्तान : 14.02.2016)

## 14 जिलों में विकसित होगा डेयरी उद्योग

- नेशनल प्लान फॉर डेयरी डेवलपमेंट के तहत हुआ है जिलों का चयन
- दूध उत्पादन की व्यवस्था को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा

राज्य के 14 जिलों को नेशनल प्लान फॉर डेयरी डेवलपमेंट के लिए चयनित किया गया है, इन जिलों में केंद्र के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी उद्योग को विकसित किया जाएगा। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में दूध समितियां स्थापित की जाएगी और दूध प्रोसेसिंग के लिए संयंत्र भी लगाए जाएंगे।

दूध उत्पादकों को गांव में बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। योजना काम्फेड के माध्यम से संचालित होगी और तीन करोड़ रूपए खर्च होंगे। राज्य सरकार प्रदेश में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने में लगी हुई है। उत्पादकों को दूध व्यवसाय के प्रति प्रोत्साहित करने को कई योजनाएं चल रही है।

**इन जिलों का हुआ है चयन :-** भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, सारण, शेखपुरा, खगड़िया, दरभंगा, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, गोपालगंज और सिवान

**मिलेगा प्रशिक्षण :-** सरकार के प्रयास का काफी बेहतर परिणाम भी सामने आया है और पिछले दस सालों के दौरान दूध का उत्पादन बढ़ा है। इसके बाद भी गुजरात, हरियाणा, पंजाब की तुलना में प्रदेश काफी पीछे है।

दूध उत्पादन की व्यवस्था को विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। केंद्र ने प्रस्ताव को मंजूर करते हुए 14 जिला का चयन किया। योजना के तहत दूध उत्पादकों को दूध व्यवसाय से संबंधित जानकारियों के साथ प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

### उत्पादन और समितियों का ब्यौरा

| | | |
|---|---|---|
| रोजाना उत्पादन | : | 18 लाख लीटर |
| 2017 तक लक्ष्य | : | 44 लाख लीटर |
| दूध उत्पादन समितियों की संख्या | : | 13 हजार |
| 2017 तक का लक्ष्य | : | 25 हजार |

(साभार: आइनेक्सट-13.02.2016)

## ग्राहक बनकर बैंक जाएंगे आरबीआई के अधिकारी

ग्राहकों के शिकायत निपटान तथा उनके अधिकारों के प्रति बैंकों की संजीदगी की वस्तु स्थिति देखने के लिए रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अधिकारी आम आदमी की तरह बैकों की शाखाओं में जाएंगे।

आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने बैंकिंग लोकपालों की दो दिवसीय बैठक के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने ग्राहकों के कुछ अधिकार तय किए हैं और बैंकों से इन्हें लागू करने के लिए कहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिकायत निपटान प्रणाली को बैंकों की कारोबारी गतिविधि का हिस्सा होना चाहिए। नियामक और निरीक्षक प्रक्रिया में शिकायतों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

(साभार: हिन्दुस्तान 17.02.2016)

## बिहार गजट

**असाधारण अंक**
**बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित**

30 पौष 1937 (श0)
(सं0 पटना 66) पटना, मंगलवार, 20 जनवरी 2016

वाणिज्य-कर विभाग
**अधिसूचनाएं**
20 जनवरी 2016

एस0ओ0 16 दिनांक 20 जनवरी 2016-बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16/1993) की धारा-3 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल उक्त अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा –

संशोधन

1. उक्त अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची की क्रम संख्या 34 के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या एवं तत्संबंधी प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेगी, यथा –

| | |
|---|---|
| "35 | चिकित्साशास्त्र उपकरण युक्ति और आरोपण |
| 36 | चिकित्साशास्त्र निदान के सभी उपयोगी औजार |
| 37 | इलेक्ट्रॉनिक गुड्स |
| 38 | सभी प्रकार के फुटवेयर किन्तु हवाई चप्पल एवं केवल प्लास्टिक से निर्मित चप्पल और सैन्डल को छोड़कर |
| 39 | सिलेसिलाये वस्त्र, होजियरी को छोड़कर परन्तु जिसमें बो, नेकटाई और कॉलर शामिल है । |
| 40 | बीड़ी पत्ते |
| 41 | बीड़ी के निमार्ण में प्रयुक्त अविनिर्मित तम्बाकू।" |

2. यह अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी ।

(सं0सं0 बिक्री-कर/संशोधन-09/2015-278)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव

## बिहार गजट

**असाधारण अंक**
**बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित**

30 पौष 1937 (श0)
(सं0 पटना 67) पटना, मंगलवार, 20 जनवरी 2016

वाणिज्य-कर विभाग
**अधिसूचनाएं**
20 जनवरी 2016

एस0ओ0 18 दिनांक 20 जनवरी 2016-बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम-16/1993) की धारा-3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल समय-समय पर यथा संशोधित, विभागीय अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 95, दिनांक 31 जुलाई 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :-

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना की अनुसूची की क्रम संख्या-17 के स्तंभ-3 की वर्त्तमान प्रविष्टि अंक एवं शब्द "12 प्रतिशत" द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी ।
2. उक्त अधिसूचना की अनुसूची के क्रम संख्या-34 के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या एवं तत्संबंधी प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी, यथा –

| क्र0 सं0 | वस्तु का विवरण | दर (प्रतिशत में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| "35 | चिकित्साशास्त्र उपकरण, युक्ति और आरोपण | 5 % |
| 36 | चिकित्सा शास्त्र निदान के सभी उपयोगी औजार | 5 % |
| 37 | इलेक्ट्रॉनिक गुड्स | 8 % |
| 38 | सभी प्रकार के फूटवेयर किन्तु हवाई चप्पल एवं केवल प्लास्टिक से निर्मित चप्पल और सैन्डल को छोड़कर | 5 % |
| 39 | सिलेसिलाये वस्त्र, होजियरी को छोड़कर परन्तु जिसमें बो,नेकटाई और कॉलर शामिल है । | 5 % |
| 40 | बीड़ी पत्ते | 5 % |
| 41 | बीड़ी के निमार्ण में प्रयुक्त अविनिर्मित तम्बाकू" | 8 % |

3. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी ।

(सं.सं. बिक्री-कर/संशोधन-09/2015-280)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य कर आयुक्त सह प्रधान सचिव

## बिहार गजट

**असाधारण अंक**
**बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित**

8 माघ 1937 (श0)
(सं0 पटना 82) पटना, वृहस्पतिवार, 28 जनवरी 2016

विधि विभाग
**अधिसूचनाएं**
28 जनवरी 2016

सं0 एल0जी0-01-01/2016/03 लेज:-भारत संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) के अधीन बिहार-राज्यपाल द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2016 को प्रख्यापित निम्नलिखित अध्यादेश इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के सचिव।

**बिहार मूल्यवर्द्धित कर अध्यादेश, 2016**
**(बिहार अध्यादेश संख्या 1, 2016)**

**बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) में संशोधन करने के लिए अध्यादेश ।**

**प्रस्तावना**-चूँकि, बिहार राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है,
और,चूँकि, बिहार-राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (अधिनियम 27, 2005) का, इसमें आगे वर्णित रीति से, संशोधन करने के लिए उनके लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;
इसलिए, अब, भारत-संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ** (1) यह अध्यादेश बिहार मूल्यवर्द्धित कर अध्यादेश 2016 कहा जा सकेगा ।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।
2. **अधिनियम 27, 2005 की धारा-3क में संशोधन** – उक्त अधिनियम, 2005 की धारा 3क की उप-धरा (1) में प्रयुक्त शब्द "बीस प्रतिशत" शब्द "तीस प्रतिशत" द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
3. **अधिनियम 27,2005 की धारा 14 में संशोधन** – उक्त अधिनियम, 2005 की धारा 14 की उप-धारा (1) के खंड-(घ) में प्रयुक्त शब्द "साढ़े तेरह प्रतिशत "शब्द "साढ़े चौदह प्रतिशत" द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
4. **अधिनियम 27, 2005 की धारा - 70 में संशोधन**- उक्त अधिनियम,2005 की धारा 70 में जहाँ-जहाँ शब्द "नब्बे दिन" प्रयुक्त है, को शब्द "साठ दिन" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ह.)राम नाथ कोविन्द,
बिहार-राज्यपाल

पटना
दिनांक:28 जनवरी 2016

भारत-संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन मैने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया है ।

(ह.) राम नाथ कोविन्द,
बिहार-राज्यपाल

पटना
दिनांक-28 जनवरी 2016

## बिहार गजट

**असाधारण अंक**
**बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित**

13 माघ 1937 (श0)
(सं0 पटना 103) पटना, मंगलवार, 2 फरवरी 2016

वाणिज्य-कर विभाग
**अधिसूचनाएं**
2 फरवरी 2016

एस0ओ0 24 दिनांक 2 फरवरी 2016-बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम XXXV) की धारा-21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल कर नियमावली, 1984 में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित करते हैं जिसका प्रारूप उक्त धारा की उप-धारा (3) द्वारा यथापेक्षित सूचनार्थ एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

2. दिनांक 25 फरवरी 2016 या इसके पूर्व प्राप्त किसी आपत्ति तथा सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जयेगा ।

संशोधन

**बिहार मनोरंजन कर नियमावली, 1984 के नियम 5 में संशोधन :-** बिहार मनोरंजन कर नियमावली, 1984 के नियम 5 का उपनियम (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :-

"(1) जब नियम 3 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी जाँच करने के बाद, जो वह आवश्यक समझे, समाधान हो जाए कि आवेदक ने सभी अपेक्षित सूचनाएं सही-सही दी है, आवेदन अन्यथा नियमानुकूल है और आवेदक ने नियम 4 के अधीन जमा की जाने वाली अपेक्षित प्रतिभूति की रकम, यदि कोई हो, जमा कर दी है, तो वह, स्वत्वधारी को पंजीकृत कर के प्रपत्र-II अथवा केबुल प्रचारक एवं केबुल दूरदर्शन प्रसार हेतु प्रपत्र-II क में निबंधन प्रमाण-पत्र आवेदन प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर उसे दे देगा।"

(सं0सं0बिक्री-कर/संशोधन-01/2016-442)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव

## बिहार गजट

**असाधारण अंक**
**बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित**

13 माघ 1937 (श0)
(सं0 पटना 106) पटना, मंगलवार, 2 फरवरी 2016

वाणिज्य-कर विभाग
**अधिसूचनाएं**
2 फरवरी 2016

एस0ओ0 28, दिनांक 2 फरवरी 2016-बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 10,2011) की धारा उप-धारा 17 की (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

**संशोधन**

1. उक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

**अनुसूची**
(देखें धारा 4)

बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका और नियोजन कर अधिनियम के अधीन कर की दरों की अनुसूची।

| क्रमांक | कर निर्धारिती का वर्ग | संदेय कर की राशि |
|---|---|---|
| 1 | व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय तीन लाख रूपये से अधिक नहीं हो | शून्य |
| | व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय पाँच लाख रूपये से अधिक हो, परन्तु प्रति वर्ष दस लाख रूपये से अधिक नहीं हो। | रूपये दो हजार प्रति वर्ष |
| | व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय दस लाख रूपये से अधिक हो। | रूपये दो हजार पाँच सौ प्रति वर्ष |
| 2 | बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) के अधीन निबंधित व्यवसाई या केवल केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के अधीन निबंधित व्यवसाई जिनकी वार्षिक खरीद या बिक्री का सकल आवर्त- | |
| | (i) प्रतिवर्ष रूपये दस लाख से अधिक नहीं हो | शून्य |
| | (ii) प्रतिवर्ष रूपये दस लाख से अधिक हो, परन्तु प्रति वर्ष रूपये बीस लाख से अधिक नहीं हो। | रूपये एक हजार प्रति वर्ष। |
| | (iii) प्रतिवर्ष रूपये बीस लाख रूपये से अधिक हो, परन्तु प्रति वर्ष रूपये चालीस लाख से अधिक नहीं हो। | रूपये दो हजार प्रति वर्ष। |
| | (iv) प्रतिवर्ष रूपये चालीस लाख से अधिक हो | रूपये दो हजार पाँच सौ प्रति वर्ष |
| 3 | मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन वाहनों के परिवहन हेतु निर्गत अनुज्ञापत्र धारक, जिसका उपयोग किराया या प्रतिफल के लिए कि जा रहा हो, जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति इनके लिए अनुज्ञापत्र एवं अनुज्ञापत्रों का धारण करता है - | |
| | क) किसी भी प्रकार के पैसन्जर टैक्सी कार, ऐसे प्रत्येक वाहन के लिए | रूपये एक हजार प्रति वर्ष |
| | ख) ट्रक एवं बस, ऐसे प्रत्येक वाहन के लिए | रूपये एक हज़ार पाँच सौ प्रति वर्ष |
| | परन्तु इस प्रविष्टि के अधीन किसी धारक द्वारा भुगतान किया गया वार्षिक कर रुपये दो हजार पाँच सौ से अधिक नहीं होगा । | |
| 4 | क) केबुल ऑपरेटर, फिल्म वितरक<br>ख) सिनेमा हॉल, थियेटर के संचालक/मालिक<br>ग) उत्सव हॉल, सभा कक्ष, वाणिज्यिक हॉल एवं आवासीय होटल के संचालक/मालिक<br>घ) हेल्थ सेन्टर के संचालक/मालिक<br>ड.) कोचिंग क्लास के संचालक/मालिक<br>च) पेट्रोल/डिजल/ऑयल पम्पों एवं सर्विस स्टेशनों के मालिक या लीज धारक<br>छ) अनुज्ञप्ति प्राप्त विदेशी शराब विक्रेता<br>ज) ईट भट्ठों के संचालक/मालिक<br>झ) बैकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 (1949 का 10)के अधीन यथा परिभाषित बैकिंग कम्पनियाँ<br>ञ) कम्पनी एक्ट, 1956 (1956 का 1) के अधीन निबंधित कम्पनियाँ जो किसी पेशा, व्यापार और नियोजन में संलग्न हो | रूपये दो हजार पाँच सौ प्रति वर्ष |

टिप्पणी-1- अनुसूची में किसी बात को होते हुए भी, जहाँ कोई व्यक्ति अनुसूची के एक से अधिक प्रविष्टियों से आच्छादित हो तो ऐसे मामले में उन प्रविष्टियों में से किसी के अधीन विनिर्दिष्ट कर की उच्चतम दर लागू होगी ।

टिप्पणी-2- अनुसूची की प्रविष्टि 2 के प्रयोजनार्थ, पेशा कर की गणना विगत वर्ष के खरीद या बिक्री के सकल आवर्त के आधार पर की जायेगी । "खरीद या बिक्री के सकल आवर्त" अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) के अधीन क्रमशः उनके प्रति समनुदेशित किए गए हों ।

2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।

(सं0सं0 बिक्री-कर/संशोधन-10/2015-453)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुकत-सह-प्रधान सचिव

# बैंकों के 1.14 लाख करोड़ लोन में डूबे

• कर्जदारों ने लगाया चूना, आरबीआई गवर्नर ने जताई चिंता

• तीन वित्तीय वर्षों में लोन वसूलने में सबसे ज्यादा पिछड़ गई बैंक

बैंकों ने करोड़ों का लोन तो बांट दिया, लेकिन उनकी वसूली करना अब मुश्किल हो गया है। बीते तीन वित्तीय वर्षों में देश के 29 बैंकों ने करीब 1.14 लाख करोड़ रूपए लोन के तौर पर दिए गए, जिनकी वापसी की उम्मीद धूमिल पड़ चुकी है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआई) की ओर से जारी आंकड़ों से इस बात का खुलासा हुआ है। यह रकम बैंक के बीते 9 साल के रिकॉर्ड से कई गुना ज्यादा है। बैंकों से कर्ज लेकर वापस न करने वालों में कौन लोग शामिल हैं, ये इंडिविजुअल हैं। कर्ज लेकर वापस न करने वालों में सबसे बड़ा नाम किसका है, इसकी जानकारी अभी आरबीआई के पास उपलब्ध नहीं है।

## बड़े लोन न चुकाने के मामले

साल 2004 से 2012 के बीच इस तरह के लोन का आंकड़ा 4 परसेंट था, जो 2013 से 2015 के बीच बढ़कर 60 परसेंट हो गया। 2015 की समाप्ति पर बैंकों से लिए गए कर्ज को वापस न करने के मामले 85 परसेंट तक बढ़ गए।

**पिछले तीन वित्तीय वर्ष में बैंकों का लोन में डूबा पैसा**

| बैंक | राशि (रूपए करोड़ में) |
|---|---|
| एसबीआई | 40,084 |
| पीएनबी | 9531 |
| आईओ बैंक | 6247 |
| बैंक ऑफ इंडिया | 4983 |
| केनरा बैंक | 4598 |
| सेंट्रल बैंक | 4442 |
| इलाहाबाद बैंक | 4243 |
| सिंडिकेट बैंक | 38493 |
| ओरिएंटल बैंक | 3593 |

''बैंक का करोड़ों का रूपया डूब जाना चिंता की बात है। सरकारी बैंकों को लगातार हो रहे घाटे से उबारने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है।''

–रघुराम राजन, आरबीआई, गवर्नर

## सिर्फ दो बैंकों का नहीं डूबा पैसा

आंकड़ों के मुताबिक, साल 2004 से 2015 के बीच करीब कर्ज के रूप में दिए गए बैंकों के 2.11 लाख करोड़ रूपए डूब गए, ऐसे आधे से ज्यादा लोन (1,14,182 करोड़ रूपए) साल 2013 से 2015 के बीच में लिए गए हैं। बीते पांच सालों में सिर्फ दो बैंक स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर ने ऐसा कोई लोन पास नहीं किया है, जिसमें पैसा डूब गया हो।

(विस्तृत: आईनेक्सट-09.02.2016)

# चेक और बैलेंस

## चेक बाउंस होने के मामले में कार्रवाई के लिए कानूनी प्रावधान और अवधि की जानकारी जरूरी

भारत में चेक बाउंस के मामले सामान्य वित्तीय अपराध हैं और चेक जारी करने वाले पर भारी दंड का प्रावधान भी है। लेकिन सरकार के नए नियम पीड़ितों के लिए राहत लाए हैं। चेक बाउंस होने के नियमों पर एक नजर, इसके अलावा कुछ अन्य जरूरी बातें जो आपके के लिए मददगार साबित हो सकती है।

### बाउंस चेकों के लिए नए नियम

● सरकार ने नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स (संशोधन) विधेयक, 2015 को अधिसूचित कर दिया है, जो चेक बांउस होने के मामलों को उस स्थान पर शिकायत की अनुमति देगी, जहां चेक को भुगतान के लिए डाला गया था, न कि उस स्थान पर, जहां उसे जारी किया गया था। ◆ शीतकालीन सत्र में संसद ने इस विधेयक को पारित किया था। ◆ कानून के मुताबिक, बाउंस हो चुके चेक का मामला सिर्फ उस अदालत में दाखिल किया जा सकता है, जिसके न्यायाधिकरण क्षेत्र के तहत प्राप्तकर्ता (पेयी) बैंक की शाखा आती है। ◆नया कानून निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने में मददगार हो सकता हैं। यह कानून चेक देने वाले के खिलाफ मामलों के केंद्रीकरण का भी आदेश देता है। ◆अगर चेक बाउंस होता है तो प्राप्तकर्ता का बैंक चेक जारी करने वाले के बैंकर को भुगतान न होने के लिए 'चेक रिटर्न मेमो' देता है। ◆मेमो मिलने के 30 दिन के भीतर डिफॉल्टर को लेन-देन के पूरे विवरण के साथ कानूनी नोटिस भेजा जाता है। ◆नोटिस मिलने के बाद चेक जारी करने वालो को 30 दिन के भीतर भुगतान करना पड़ता है। ◆अगर वह ऐसा नहीं करता है तो चेक का प्राप्तकर्ता 30 दिन की नोटिस की अवधि के भीतर मजिस्ट्रेट की अदालत में आपराधिक मामला दर्ज करा सकता है।

### चेक के बारे में जानने की कुछ मुख्य बातें

चेक का बाउंस होना भारतीय दंड सहिता के साथ-साथ इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स कानून के तहत आपराधिक मामला है। ◆आइपीसी 1960 की धरा 417 और 420 के तहत चेक जारी करने वाले पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे इस अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। ◆आइपीसी की धारा 417 और 420 लागू करने के लिए धोखाधड़ी का मामला साबित करना होता है। ◆ नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स कानून, 1881 की धारा 138 के तहत भी आपराधिक दायित्व स्थापित किया जा सकता है। ◆धारा 138 के तहत बाउंस हो चुका चेक जारी करने वाले को 2 साल जेल की सजा हो सकती है या देय राशि से दोगुनी राशि देनी पड़ सकती है या दोनों ही सजाएं हो सकती है। ◆चेक भुनाने के बाद भी आपके खाते में हमेशा न्यूनतम बैलेंस होना चाहिए। ◆डिफॉल्टर और प्राप्तकर्ता के बैंकों की ओर से पर्याप्त राशि न होने पर आपको भारी दंड चुकाना पड़ सकता है। ◆ आरबीआइ के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक उस ग्राहक को चेक बुक जारी करने की सुविधा बंद कर सकता है, जो चार से ज्यादा बार चेक बाउंस का अपराध कर चुका हो, और उसका मूल्य 1 करोड़ रूपये से उपर हो। ◆ चेक बाउंस होने पर आपका सीआईबीआइएल स्कोर प्रभावित होता है।

(साभार:- इंडिया टुडे: 03.02.2016)

# अच्छा स्कोर, आसान कर्ज

**कर्ज की मंजूरी देने के लिए बैंक अलग-अलग आधार पर अंक देते हैं जानिए वे बातें जिन पर बैंक घर के लिए ऋण मंजूर करने से पहले विचार करते हैं**

### कर्ज का इतिहास

● बैंक साफ-सुथरे वित्तीय रिकॉर्ड वाले लोंगों को तरजीह देते हैं। मसलन, क्रेडिट कार्ड भुगतानों से चूकना खराब माना जाएगा। ● बैंक विभिन्न ब्यूरों के पास मौजूद आपके कर्ज की रिपोर्टों के जरिए आपकी वित्तीय हैसियत की जांच करते हैं। ● होम लोन की अर्जी की मंजूरी आपके क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करती है। 800 को बेहतरीन और 700-800 के बीच क्रेडिट स्कोर अच्छा माना जाता है। स्कोर 300 से कम होने पर बैंक कर्ज देने से इनकार कर सकता है। ● अच्छे क्रेडिट स्कोर का यह मतलब नहीं कि कम ब्याज दर पर कर्ज मिल जाएगा। इससे बस कर्ज जल्दी मिलने में मदद मिलती है।

### काम-धंधा

● होम लोन की पड़ताल करते समय आपका पेशा अहम भूमिका अदा करता है। अगर आप ऐसी कंपनी में हैं जिसका तनख्वाह देने का खराब इतिहास रहा है, तो यह आपकी कर्ज की अर्जी को कमजोर कर सकता है। ● अगर आप जल्दी-जल्दी नौकरियां बदलते हैं, तो कर्ज देने वाला इसे अच्छा नहीं मानता। ●कुछ बैंक, खासकर सरकारी बैंक, कर्ज देने के लिए सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को तरजीह देते हैं। बजाए निजी कंपनियों में काम करने वालों, कारोबारियों और स्व-रोजगार में लगे लोगों के।

**उम्र**

- 30 से 50 साल के बीच की उम्र वाले लोंगों को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाती है, क्योंकि उनके पास कर्ज चुकाने के लिए काम करने के काफी साल होते हैं। ● ज्यादातर बैंक 60 साल से उपर के लोगों को कम अंक देते हैं।

**घर किस जगह पर है**

- आप जो संपत्ति खरीद रहे हैं, उसे मालिकाना हक, कानूनी और पर्यावरण जैसों तमाम जरूरी मंजूरियां हासिल होनी चाहिए। ● घर दूर-दराज के इलाके में है, तो कर्ज लेने में मुश्किल आ सकती है। ● कर्ज की मंजूरी देते वक्त इस पर भी विचार किया जाता है कि संपत्ति कर्ज देने वाली शाखा से कितनी दूर है।

**काम का तजुर्बा**

- 10 साल की नौकरी वाले शख्स के उपर 15 साल की नौकरी वाले शख्स को तरजीह दी जाएगी।

**कर्ज चुकाने की मियाद**

- कर्ज चुकाने की अवधि जितनी कम होगी, उतनी अहमियत मिलेगी, 5 से 10 साल में चुकाने वालों की बनिस्बत 10 और 15 साल के बीच चुकाने वालों को कम अंक मिलते हैं। 15 और 20 साल के बीच की अवधि के लिए तो और भी कम अंक दिए जाते हैं।

**बैंक के साथ रिश्ते**

- बैंक पुराने ग्राहकों को अहमियत देते हैं क्योंकि उन्हें आपका वित्तीय इतिहास पता होता है।

**कर्ज का मकसद**

- अगर आप रेडी-टू-मूव-इन यानी बिल्कुल तैयारशुदा संपत्ति खरीद रहे हैं, तो आप ज्यादा अंक हासिल करते हैं निर्माणाधीन संपत्तियों को बनिस्बतन कम ऋण अंक दिए जाते हैं।

**अतिरिक्त आमदनी**

- आपकी बचत या खर्च से बचने वाली आमदनी कम है, तो इसका मतलब है कि आप खींचतान कर गुजारा करते हैं और आपके कर्ज चुकाने से चूकने का अंदेशा ज्यादा है। (साभार: इंडिया टुडे-03.02.2016)

## बिना हॉलमार्क के अब नहीं बिकेगी ज्वेलरी

आने वाले दिनों में हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से निंबंधित दुकान खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंन्द्र सरकार ज्वेलरी बेचने वाली दुकानों को हॉलमार्क ज्वेलरी बेचना अनिवार्य करने जा रही है। बिना हॉलमार्क के सोने या चांदी की ज्वेलरी या इनसे बनी कोई भी सामग्री बाजार में नहीं मिलेगी। इसके लिए सभी दुकानदारों को सबसे पहले भारतीय मानक ब्यूरो से निबंधन कराना होगा।

**छोटे शहरों में भी होगा लागू :** अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह नियम कब से लागू होगा। इस नियम को लागू करने के लिए लोकसभा में फाइल भेजी गई है। वहां से पास होते ही सभी ज्वेलरी दुकानदारों को भारतीय मानक ब्यूरों से निबंधन लेना अनिवार्य हो जाएगा। इस बात की भी जानकारी मिली है कि नियम लागू होते ही सभी राज्यों के शहरों में एक साथ लागू नही किए जायेंगे। जानकारों का कहना है कि इसे फेज वाइज लागू किया जाएगा। हो सकता है कि पहले बड़े राज्यों के बड़े शहरों में लागू किए जाएं। उसके बाद सभी शहरों में लागू हो। बिहार में डीलरों ने 384 सोना व 27 चांदी की दुकानें भारतीय मानक ब्यूरों से निबंधित कराई है।

(विस्तृत: हिन्दुस्तान 17.2.2016)


Statement about ownership and other particulars about newspaper of the Bihar Chamber of Commerce & Industries monthly Bulletin to be published in the first issue every year after last day of February.

**Form -IV**
(See Rule -8)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Place of Publication | Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800 001 |
| 2 | Periodicity of its publication | Monthly |
| 3 | Printer's Name<br>Whether Citizen of India?<br>(If foreigner, state the Country of origin)<br>Address | A. K. Dubey<br>Indian<br><br>Duputy Secretary<br>Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800001 |
| 4 | Publisher's Name<br>Whether Citizen of India?<br>(if foreigner, State the Country of Origin)<br>Addrss | A. K. Dubey<br>Indian<br><br>Duputy Secretary<br>Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg Patna-1 |
| 5 | Editor's Name<br>Whether Citizen of India?<br>(If Foreigner, State the Country of Origin)<br>Address | Shri Shashi Mohan<br>Indian<br><br>M/s Shree Narayani Sales Corporation, 170C, Sri Krishnapuri, Patna-800 001 |
| 6 | Name and Address of Individual who own the newspaper and partners of Share-holders | Bihar Chamber of Commerce & Industries<br>Khem Chand Chaudhary Marg<br>Patna-800 001 |

I, A.K. Dubey, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

**A.K. Dubey**
Publisher



बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

होली का त्योहार, फूलों के संग

(रंग अबीर रहित होली)

मान्यवर,

होली के शुभ अवसर पर रविवार 20 मार्च, 2016 को संध्या 5.00 बजे से चैम्बर प्रांगण में "होली मिलन समारोह" का आयोजन किया गया है।

इस शुभ अवसर पर गीत-संगीत, लोक नृत्य, फूलों की होली, सुस्वादिष्ट व्यंजनों एवं ठंडाई का लुत्फ उठाने हेतु आपकी सपरिवार गरिमामयी उपस्थिति प्रार्थित है।

निवेदक
ओ० पी० साह
अध्यक्ष



**EDITORIAL BOARD**

**EDITOR**
**SHASHI MOHAN**
SECRETARY GENERAL

Convenor
Library & Bulletin Sub-Committee
**RAMCHANDRA PRASAD**

Printer & Publisher
**A. K. DUBEY**
Dy. Secretary